राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19 नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)
ई–मेल seiaacg@gmail.com

विषय– राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 27/02/2020 को संपन्न 315वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

——000——

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 315वीं बैठक श्री धीरेन्द्र शर्मा, अध्यक्ष, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन की अध्यक्षता में दिनांक 27/02/2020 को संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया–

1. डॉ. मोहन लाल अग्रवाल, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
2. श्री अरविन्द कुमार मेहता, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
3. डॉ. एम.डब्ल्यू.वाय. खान, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
4. डॉ. विकास कुमार जैन, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
5. डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
6. श्री भोरसकर विलास संदिपान, सदस्य सचिव, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया–

एजेण्डा आयटम क्रमांक–1: दिनांक 26/02/2020 को संपन्न 314वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 314वीं बैठक दिनांक 26/02/2020 को संपन्न हुई। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–2: गौण/मुख्य खनिजों संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर हेतु निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स मेढेसरा लाईम स्टोन माईन (प्रो.–श्री संजय अग्रवाल), ग्राम–मेढेसरा, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 7351)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /28527/2018, दिनांक 02/08/2018 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 48358/ 2018, दिनांक 13/12/2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है।

प्रस्ताव का विवरण – यह दिनांक 15/01/2016 के पूर्व से संचालित चूना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम–मेड़ेसरा, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग, स्थित खसरा क्रमांक 1015 एवं 1016, कुल लीज क्षेत्र 3.97 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 25,500 टन प्रतिवर्ष है। खदान 15/01/2016 के पश्चात् बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के उत्खनन जारी रखने के कारण यह प्रकरण उल्लंघन की श्रेणी का है। इस प्रकरण में समिति की 258वीं बैठक दिनांक 25/10/2018 को सुनवाई की गई थी, जिसमें टीओआर जारी करने का निर्णय लिया गया था। प्रकरण के तथ्य निम्नानुसार है:–

1. ग्राम पंचायत मेड़ेसरा द्वारा दिनांक 11/04/2002 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा द्वितीय स्कीम ऑफ माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर के ज्ञापन क्रमांक / डीआरजी/ एलएसटी/ एमपीएलएन–839/ एनजीपी, दिनांक 22/08/2013 जो वर्ष अवधि 2013–14 से 2017–18 तक की अवधि हेतु अनुमोदित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 602/खनि.लि. 2/खनिज/2017 दुर्ग, दिनांक 30/05/2017 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में कुल 05 खदानें रकबा 84.11 हेक्टेयर स्वीकृत / विद्यमान है।
4. निकटतम आबादी ग्राम–नंदिनी–खुंदनी 0.96 कि.मी. एवं शहर धमधा 9.2 कि.मी., स्कूल ग्राम–नंदिनी–खुंदनी 1.46 कि.मी., अस्पताल ग्राम–नंदिनी–खुंदनी 1.5 कि.मी. एवं रेल्वे स्टेशन भिलाई पॉवर हॉउस लगभग 19.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 1.92 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 3.3 कि.मी. दूर है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
6. लीज डीड श्री संजय अग्रवाल के नाम पर है, जो 30 वर्षों के लिए दिनांक 24/07/2003 से 23/07/2033 तक की अवधि हेतु है।
7. जियोलॉजिकल रिजर्व 10,20,500 टन एवं माईनेबल रिजर्व कुल 7,74,500 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.6 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा गया है। उत्खनन की अधिकतम गहराई 20 मीटर प्रस्तावित है। ओपन कास्ट विधि से उत्खनन किया जाता है। वर्तमान में 10 मीटर गहराई तक उत्खनन किया गया है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 5,450 घनमीटर एवं मोटाई 1.5 मीटर है। बेंच की अल्टीमेट चौड़ाई 3 मीटर एवं ऊंचाई 3 मीटर होगी। ड्रिलिंग हेतु जेक हेमर ड्रिल का उपयोग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 31 वर्ष है। जल उपभोग की मात्रा 7 किलोलीटर प्रतिदिन (डस्ट सप्रेशन किलो लीटर प्रतिदिन, ग्रीन बेल्ट 2 किलोलीटर प्रतिदिन एवं घरेलु उपयोग हेतु 3 किलोलीटर प्रतिदिन) है। जल का स्त्रोत भू–जल है। प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव एवं वृक्षारोपण किया जाता है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुला क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा। विगत वर्षों के उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)
2003—2004	1216
2004—2005	14,968
2005—2006	10,661
2006—2007	9,001
2007—2008	12,692
2008—2009	8,135
2009—2010	16,276
2010—2011	16,766
2011—2012	16,276
2012—2013	16,900
2013—2014	20,467
2014—2015	21,665
2015—2016	23,420
2016—2017	19,210
2017—2018	750
2018—2019	निरंक

उत्खनन की वर्षवार योजना
(द्वितीय स्कीम ऑफ माईनिंग प्लान अनुसार)

वर्ष	उत्खनन ROM (टन)
2013—14	25,500
2014—15	25,500
2015—16	25,500
2016—17	25,500
2017—18	25,500

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंकों का राउण्डऑफ किया गया है।

8. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**— पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/02/2019 द्वारा अधिसूचना का आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्वॉयरमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्वॉयरमेंट मेनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टेण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

प्रकरण उल्लंघन का होने के कारण एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/02/2019 द्वारा परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही करने एवं स्थापना सम्मति /

संचालन सम्मति जारी नहीं किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण –**
   i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 19 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 19 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 9 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
   ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 24.8 से 46.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 9.0 से 13.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_x$ 14.2 से 19.6 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 35.1 डीबीए से 59.5 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 28.4 डीबीए से 42.1 डीबीए पाया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को दिनांक 20/01/2020 को आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 20/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संजय अग्रवाल, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 20/01/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों (प्रस्तुतीकरण की तैयारी नहीं होने के कारण) से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक के उपरांत आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 315वीं बैठक दिनांक 27/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संजय अग्रवाल, प्रोपराईटर एवं प्रोजेक्ट सलाहकार के रूप में मेसर्स इन सिटु इन्वायरो केयर, भोपाल की ओर से श्री विजय साहू उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया गया है।
2. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरमेंटल प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3. प्रस्तुतीकरण के दौरान ध्वनि के प्रभाव का आकलन तथा ध्वनि प्रतिरूपण (Noise Modeling) संबंधी जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार विचाराधीन क्लस्टर के संचालन उपरांत क्लस्टर के परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 50.9 डीबीए से 61.3 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 32.9 डीबीए से 37.8 डीबीए होगी। जो कि निर्धारित मानक के भीतर है।
4. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर बताया गया है, जो कि निर्धारित मानक से अधिक है। इस बाबत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में मॉनिटरिंग स्टेशन क्रमांक 5 (प्रोजेक्ट साईट-V) एवं 6 (प्रोजेक्ट साईट-VI) में परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक है, जिसका मुख्य कारण स्थानीय लोगों द्वारा आवागमन एवं परिवहन हेतु उपयोग किये जाने वाले मार्ग की स्थिति खराब होना है। अतः उक्त मार्ग का डब्ल्यू.बी.एम. मरम्मत एवं जल छिड़काव कर, मॉनिटरिंग स्टेशन 5 एवं 6 में अतिरिक्त मॉनिटरिंग की गई, जिसके अनुसार मॉनिटरिंग स्टेशन 5 एवं 6 में क्रमशः पी.एम.$_{10}$ 92.5 माईक्रोग्राम/घनमीटर एवं 89.2 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाया गया। परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ की मात्रा को निर्धारित मानक से कम रखने के लिए इस गतिविधि को निरंतर किया जाना आवश्यक है। उक्त से स्पष्ट है कि प्रभावी नियंत्रण उपाय (Mitigation measure) एवं पहुँच मार्ग तथा खदान के आस-पास में प्रस्तावित सघन वृक्षारोपण से परिवेशीय वायु की गुणवत्ता में सुधार होना संभावित है।
5. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 35	2%	Rs. 0.70	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Medesara	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.33
			Potable Drinking	Rs. 0.32

			water Facility	
			Plantation	Rs. 0.05
			Total	**Rs. 0.70**

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

6. लोक सुनवाई दिनांक 03/10/2019 प्रातः 12:00 बजे स्थान शासकीय उचित मूल्य की दुकान के सामने ग्राम–मेढ़ेसरा तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 26/11/2019 द्वारा प्रेषित किया गया है।

7. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

   i. इस क्षेत्र की ज्वलंत समस्या अहिवारा से पॉवर हॉउस रोड जहाँ पर मिट्टी खदानों की बड़ी–बड़ी गाड़िया चलती है, की स्थिति ठीक नहीं है तथा सड़के अत्यंत जर्जर हो चुकी है। इन मार्गों का डी.एम.एफ. से उपलब्ध राशि से संधारण करवाया जाये। डी.एम.एफ. से कोई विकास नहीं हुआ है।

   ii. ब्लास्टिंग एक निश्चित समय पर होना चाहिए। सभी खदानों में एक समय पर ब्लास्टिंग होना चाहिए, जिससे सभी सुरक्षित रहेंगे। खदान एवं क्रशर जो चालू होगा उसमें शासन का नियम लागू होगा। उसकी सतत् निगरानी शासन द्वारा किया जाए। क्रशर को पूर्णतः कव्हर्ड होकर जल छिड़काव की व्यवस्था होनी चाहिए। खदानों से निकलने वाली पानी को मुफ्त में फसलों की सिंचाई हेतु प्रदान किया जाए।

   iii. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगो को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

   iv. खदान में वायु एवं जल प्रदूषण का नियंत्रण होना चाहिए। पर्यावरण के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप खदानों का संचालन होना चाहिए।

   v. खदानों में कोई भी वृक्षारोपण नहीं किया गया है। लगभग 300 फीट से भी गहरी खदानें है, जिससे पानी ठहरता नहीं है। जिससे कृषि भूमि प्रभावित हो रही है। ग्रामों में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण नहीं किया गया है। ब्लास्टिंग से बहुत आवाज आती है। अवैधानिक रूप से उत्खनन भी किया जा रहा है।

   vi. मिट्टी के परिवहन हेतु बड़ी–बड़ी वाहनें चलती है, उससे बहुत दुर्घटना होती है। इनकी गति में रोक लगाई जाए। रोड का भी संधारण किया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

   i. डी.एम.एफ. की राशि या रॉयल्टी की राशि से जिला प्रशासन के माध्यम से विकास का कार्य किया जाएगा।

   ii. प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल छिड़काव एवं वृक्षारोपण की व्यवस्था की जाएगी।

iii. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी। पूर्व से ही खदानों में कार्यरत व्यक्तियों को भी रोजगार प्रदान किया जाएगा।

iv. जल स्तर 30 मीटर नीचे है। खदान से उत्खनन की अधिकतम गहराई 30 मीटर से कम रखी जाएगी।

v. जो खदानें बंद पड़ी है, उनमें वर्षा का पानी भण्डारित है। उनमें जल का संरक्षण किया जाएगा। वर्षा का पानी जिला प्रशासन की अनुमति से नियमानुसार/आवश्यकतानुसार कृषकों को भी दिया जाएगा।

vi. सभी खदानें अपनी लीज क्षेत्र में संचालित है। लीज क्षेत्र से बाहर उत्खनन नहीं किया जा रहा है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. ग्राउण्ड वॉटर टेबल से जल की गहराई के मापन के संबंध में प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल / स्थल का नाम, पता एवं एस्टीमेट सहित कार्यवार व्यय का विवरण) प्रस्तुत किया जाए।

3. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लान प्रस्तुत किया जाए। क्लस्टर में प्रदूषण नियंत्रण हेतु विभिन्न विभिन्न कार्यों (यथा क्लस्टर के सड़कों/एप्रोच रोड का पक्कीकरण एवं साधारण परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन का नियंत्रण, जल छिड़काव व्यवस्था, सड़कों/एप्रोच रोड के किनारे तथा क्लस्टर में उपलब्ध खुली भूमि में वृक्षारोपण, वाहन दुर्घटना का रोकथाम का उपाय, आदि) का विवरण एवं क्लस्टर में सम्मिलित प्रत्येक लीजधारक का उपरोक्त प्रदूषण नियंत्रण के कार्यों के निष्पादन हेतु निर्धारित उत्तरदायित्व का विवरण प्रस्तुत करें।

4. परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति का स्त्रोत स्पष्ट किया जाए। भू-जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

5. उत्खनन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से परिवेशीय वायु, जल एवं ध्वनि गुणवत्ता में हुए विपरीत प्रभाव का आंकलन कर तदानुसार अध्ययन कर संबंधित रेमेडियल प्लान तथा नेचुरल एण्ड कम्युनिटी आमुमेंटेशन प्लान, इन्वॉयरमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्वॉयरमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया जाए।

6. उत्खनन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से मिट्टी की गुणवत्ता में परिवर्तन / दुष्प्रभाव नहीं होने, वृक्षों की कटाई नहीं किए जाने आदि के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।

7. रेस्टोरेशन (Restoration) प्लान प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. **मेसर्स श्री संजय अग्रवाल (नंदनी–खुंदनी लाईम स्टोन माईन), ग्राम–नंदनी–खुंदनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 7358)**

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /28525/2018, दिनांक 02/08/2018 द्वारा टीओआर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 48408/ 2018, दिनांक 14/12/2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है।

प्रस्ताव का विवरण – यह दिनांक 15/01/2016 के पूर्व से संचालित चूना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम–नंदनी–खुंदनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 447 एवं 452, कुल लीज क्षेत्र 2.03 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता –9,000 टन प्रतिवर्ष है। खदान 15/01/2016 के पश्चात् बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के उत्खनन जारी रखने के कारण यह प्रकरण उल्लंघन की श्रेणी का है। इस प्रकरण में समिति की 260वीं बैठक दिनांक 27/10/2018 को सुनवाई की गई थी, जिसमें टीओआर जारी करने का निर्णय लिया गया था। प्रकरण के तथ्य निम्नानुसार है–

1. ग्राम पंचायत नंदनी–खुंदनी द्वारा दिनांक 20/04/2001 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मॉडिफिकेशन ऑफ माईनिंग प्लान एण्ड प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप खान नियंत्रक एवं प्रभारी अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर (छ.ग.) के पत्र क्रमांक /दुर्ग/चूप/खयो–316/नाग/ 2016/16 रायपुर, दिनांक 12/08/2016 जो वर्ष 2016–17 से 2018–19 तक की अवधि हेतु अनुमोदित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 601/खनि. लि.2/खनिज/2017 दुर्ग, दिनांक 30/05/2017 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में कुल 10 खदानें रकबा 62.58 हेक्टेयर स्वीकृत / विद्यमान है।
4. निकटतम आबादी ग्राम–पथरिया 1.31 कि.मी. एवं शहर धमधा 6.7 कि.मी., स्कूल ग्राम–पथरिया 1.37 कि.मी., अस्पताल ग्राम–पथरिया 1.46 कि.मी. एवं रेल्वे स्टेशन भिलाई पॉवर हॉउस लगभग 22.4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 1.47 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 1.18 कि.मी. दूर है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्युटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
6. लीज डीड श्री संजय अग्रवाल के नाम पर है, जो 20 वर्षों के लिए दिनांक 05/01/1995 से 04/01/2015 तक की अवधि हेतु थी।
7. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1263/खनिज/2015 दुर्ग, दिनांक 05/10/2015 द्वारा खनिपट्टे की अवधि बढ़ाने हेतु पूरक अनुबंध पत्र प्रस्तुत करने बाबत् पत्र जारी किया गया है।

8. जियोलॉजिकल रिजर्व 7,32,500 टन एवं माइनेबल रिजर्व 3,60,500 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.45 हेक्टेयर) सुरक्षा क्षेत्र छोड़ा गया है। ओपन कास्ट विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की अधिकतम गहराई 16 मीटर प्रस्तावित है। वर्तमान में 8 मीटर गहराई तक उत्खनन किया गया है। ऊपरी मिट्टी की गहराई 0.5 मीटर है बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर होगी। ड्रिलिंग हेतु जेक हेमर ड्रिल का उपयोग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 40 वर्ष है। जल उपभोग की मात्रा 5 किलोलीटर प्रतिदिन (डस्ट सप्रेशन 2 किलोलीटर प्रतिदिन, ग्रीन बेल्ट 2 किलोलीटर प्रति दिन एवं घरेलू उपयोग हेतु 1 किलोलीटर प्रतिदिन) है। जल का स्त्रोत भू-जल है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव एवं वृक्षारोपण किया जाता है। वर्तमान में 700 नग वृक्षारोपण किया गया है। विगत वर्षों के उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)
1994	निरंक
1995-1996	60
1996-1997	2,990
1997-1998	4,006
1998-1999	3,012
1999-2000	4,810
2000-2001	7,600
2001-2002	4,970
2002-2003	2,660
2003-2004	930
2004-2005	350
2005-2006	370
2006-2007	1,929
2007-2008	1,089
2008-2009	4,721
2009-2010	6,631
2010-2011	9,264
2011-2012	4,797
2012-2013	2,340
2013-2014	9,548
2014-2015	3,863
2015-2016	360
2016-2017	3,215
2017-2018	40
2018-2019	निरंक

उत्खनन की वर्षवार प्रस्तावित योजना

वर्ष	उत्खनन (टन)
2017–2018	9,000
2018–2019	9,000
कुल	**18,000**

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंकों का राउण्डऑफ किया गया है।

9. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/02/2019 द्वारा अधिसूचना का. आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्वॉयरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्वॉयरोमेंट मेनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

प्रकरण उल्लंघन का होने के कारण एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/02/2019 द्वारा परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही करने एवं स्थापना सम्मति / संचालन सम्मति जारी नहीं किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा नवीन, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई –

1. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:–**

   i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 19 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 19 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 9 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

   ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 24.8 से 46.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एस.ओ.$_2$ 9.0 से 13.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एन.ओ.$_{2}$ 14.2 से 19.6 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 35.1 डीबीए से 59.5 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 28.4 डीबीए से 42.1 डीबीए पाया गया।

समिति द्वारा विस्तृत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को दिनांक 20/01/2020 को आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 20/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संजय अग्रवाल, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 20/01/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों (प्रस्तुतीकरण की तैयारी नहीं होने के कारण) से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक के उपरांत आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 315वीं बैठक दिनांक 27/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संजय अग्रवाल, प्रोपराईटर एवं प्रोजेक्ट सलाहकार के रूप में मेसर्स इन सिटु इन्वायरो केयर, भोपाल की ओर से श्री विजय साहू उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्ष 2013–14 में 9,548 टन, वर्ष 2014–15 में 3,863 टन, वर्ष 2015–16 में 360 टन, वर्ष 2016–17 में 3,215 टन एवं वर्ष 2017–18 में 40 टन उत्खनन किया गया है। तदुपरांत जून 2017 से खदान बंद है।
2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया गया है।
3. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरोमेंटल प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. प्रस्तुतीकरण के दौरान ध्वनि के प्रभाव का आकलन तथा ध्वनि प्रतिरूपण (Noise Modelling) संबंधी जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार विचाराधीन क्लस्टर के संचालन उपरांत क्लस्टर के परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 50.9 डीबीए से 61.3 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 32.9 डीबीए से 37.8 डीबीए होगी। जो कि निर्धारित मानक के भीतर है।
5. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर बताया गया है, जो कि निर्धारित मानक से अधिक है। इस बाबत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में मॉनिटरिंग स्टेशन

क्रमांक 5 (प्रोजेक्ट साईट–V) एवं 6 (प्रोजेक्ट साईट–VI) में परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक है, जिसका मुख्य कारण स्थानीय लोगों द्वारा आवागमन एवं परिवहन हेतु उपयोग किये जाने वाले मार्ग की स्थिति खराब होना है। अतः उक्त मार्ग का डब्ल्यू.बी.एम. मरम्मत एवं जल छिड़काव कर, मॉनिटरिंग स्टेशन 5 एवं 6 में अतिरिक्त मॉनिटरिंग की गई, जिसके अनुसार मॉनिटरिंग स्टेशन 5 एवं 6 में क्रमशः पी.एम.$_{10}$ 92.5 माईक्रोग्राम/घनमीटर एवं 89.2 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाया गया। परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ की मात्रा को निर्धारित मानक से कम रखने के लिए इस गतिविधि को निरंतर किया जाना आवश्यक है। उक्त से स्पष्ट है कि प्रभावी नियंत्रण उपाय (Mitigation measure) एवं पहुँच मार्ग तथा खदान के आस–पास में प्रस्तावित सघन वृक्षारोपण से परिवेशीय वायु की गुणवत्ता में सुधार होना संभावित है।

6. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 45	2%	Rs. 0.90	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Nandini-Khundini	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.44
			Potable Drinking water Facility	Rs. 0.32
			Plantation with Fencing	Rs. 0.14
			Total	**Rs. 0.90**

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

7. लोक सुनवाई दिनांक 03/10/2019 प्रातः 12:00 बजे स्थान शासकीय उचित मूल्य की दुकान के सामने ग्राम–मेड़ेसरा तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 26/11/2019 द्वारा प्रेषित किया गया है।

8. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

   i. इस क्षेत्र की ज्वलंत समस्या अहिवारा से पीपर छीतरा रोड जहाँ पर गिट्टी खदानों की बड़ी–बड़ी गाड़ियां चलती है, की स्थिति ठीक नहीं है तथा

सड़कें अत्यंत जर्जर हो चुकी है। इन मार्गों का डी.एम.एफ. से उपलब्ध राशि से सधारण करवाया जाये। डी.एम.एफ. से कोई विकास नहीं हुआ है।

ii. ब्लास्टिंग एक निश्चित समय पर होना चाहिए। सभी खदानों में एक समय पर ब्लास्टिंग होना चाहिए, जिससे सभी सुरक्षित रहेंगे। खदान एवं क्रशर जो चालू होगा उसमें शासन का नियम लागू होगा। उसकी सतत् निगरानी शासन द्वारा किया जाए। क्रशर को पूर्णतः कवर्ड होकर जल छिड़काव की व्यवस्था होनी चाहिए। खदानों से निकलने वाली पानी को मुफ्त में फसलों की सिंचाई हेतु प्रदान किया जाए।

iii. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

iv. खदान में वायु एवं जल प्रदूषण का नियंत्रण होना चाहिए। पर्यावरण के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप खदानों का संचालन होना चाहिए।

v. खदानों में कोई भी वृक्षारोपण नहीं किया गया है। लगभग 300 फीट से भी गहरी खदानें है, जिससे पानी ठहरता नहीं है। जिससे कृषि भूमि प्रभावित हो रही है। ग्रामों में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण नहीं किया गया है। ब्लास्टिंग से बहुत आवाज आती है। अवैधानिक रूप से उत्खनन भी किया जा रहा है।

vi. गिट्टी के परिवहन हेतु बड़ी-बड़ी वाहनें चलती है, उससे बहुत दुर्घटना होती है। इनकी गति में रोक लगाई जाए। रोड का भी संधारण किया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:-

i. डी.एम.एफ. की राशि या रॉयल्टी की राशि से जिला प्रशासन के माध्यम से विकास का कार्य किया जाएगा।

ii. प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल छिड़काव एवं वृक्षारोपण की व्यवस्था की जाएगी।

iii. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी। पूर्व से ही खदानों में कार्यरत व्यक्तियों को भी रोजगार प्रदान किया जाएगा।

iv. जल स्तर 30 मीटर नीचे है। खदान से उत्खनन की अधिकतम गहराई 30 मीटर से कम रखी जाएगी।

v. जो खदानें बंद पड़ी है, उनमें वर्षा का पानी भण्डारित है। उनमें जल का संरक्षण किया जाएगा। वर्षा का पानी जिला प्रशासन की अनुमति से नियमानुसार/आवश्यकतानुसार कृषकों को भी दिया जाएगा।

vi. सभी खदानें अपनी लीज क्षेत्र में संचालित है। लीज क्षेत्र से बाहर उत्खनन नहीं किया जा रहा है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. पूर्व में समिति की 260वीं बैठक दिनांक 27/10/2018 को प्रस्तुतीकरण के दौरान यह बताया गया था कि उत्खनन कार्य वर्ष 2013-14 में 9,740 टन, वर्ष 2014-15 में 9,800 टन, वर्ष 2015-16 में 3,800 टन, वर्ष 2016-17 में 3,215 टन एवं मई 2017 तक में 40 टन है। वर्तमान में वर्ष 2013-14 में 9,548 टन,

वर्ष 2014–15 में 3,863 टन, वर्ष 2015–16 में 360 टन, वर्ष 2016–17 में 3,215 टन एवं वर्ष 2017–18 में 40 टन उत्खनन किया जाना बताया गया है। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की जाए।

2. ग्राउण्ड वॉटर टेबल में जल की गहराई के मापन के संबंध में प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत की जाए।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल / स्थल का नाम, पता एवं एस्टीमेट सहित कार्यवार व्यय का विवरण) प्रस्तुत किया जाए।

4. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरमेंटल प्लान प्रस्तुत किया जाए। क्लस्टर में प्रदूषण नियंत्रण हेतु चिन्हित विभिन्न कार्यों (यथा क्लस्टर के सड़कों/एप्रोच रोड का पक्कीकरण एवं संधारण, परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन का नियंत्रण, जल छिड़काव व्यवस्था, सड़कों/एप्रोच रोड के किनारे तथा क्लस्टर में उपलब्ध खुली भूमि में वृक्षारोपण, वाहन दुर्घटना का रोकथाम का उपाय, आदि) का विवरण एवं क्लस्टर में सम्मिलित प्रत्येक लीजधारक का उपरोक्त प्रदूषण नियंत्रण के कार्यों के निष्पादन हेतु निर्धारित उत्तरदायित्व का विवरण प्रस्तुत करें।

5. परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति का स्त्रोत स्पष्ट किया जाए। भू–जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

6. उल्लंघन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से परिवेशीय वायु, जल एवं ध्वनि गुणवत्ता में हुए विपरीत प्रभाव का आकलन कर, तदानुसार अध्ययन कर संशोधित रेमेडियल प्लान तथा नेचुरल एण्ड कम्युनिटी आगुमेंटेशन प्लान, इन्वॉयरमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्वॉयरमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया जाए।

7. उल्लंघन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से मिट्टी की गुणवत्ता में परिवर्तन / दुष्प्रभाव नहीं होने, वृक्षों की कटाई नहीं किए जाने आदि के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।

8. रेस्टोरेशन (Restoration) प्लान प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स पथरिया लाईम स्टोन माईन (श्री ए. के. वर्मा), ग्राम–पथरिया, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 697)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /24919/2018, दिनांक 13/04/2018 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 48404/ 2018, दिनांक 14/12/2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है।

प्रस्ताव का विवरण – यह दिनांक 15/01/2016 के पूर्व से संचालित चूना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम–पथरिया, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 751, 752, 753, 754, 755, 756 एवं 757, कुल लीज

क्षेत्र 3.47 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 9,000 टन प्रतिवर्ष है। खदान 15/01/2016 के पश्चात् बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के उत्खनन जारी रखने के कारण यह प्रकरण उल्लंघन की श्रेणी का है। इस प्रकरण में समिति की 258वीं बैठक दिनांक 25/10/2018 को सुनवाई की गई थी, जिसमें टीओआर जारी करने का निर्णय लिया गया था। प्रकरण के तथ्य निम्नानुसार है:–

1. ग्राम पंचायत पथरिया (रस.) द्वारा दिनांक 07/02/2017 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मॉडिफिकेशन ऑफ माईनिंग प्लान एण्ड प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप खान नियंत्रक एवं प्रभारी अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर (छ.ग.) के ज्ञापन क्रमांक दुर्ग/ ग्रुप/ खनी–665/ नाग/11/रायपुर, दिनांक 10/06/2016 (अवधि 2016–17 से 2018–19 तक हेतु) द्वारा अनुमोदित है।

3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक खनि.लि. 2/खनिज/2017 दुर्ग, दिनांक 30/05/2017 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में कुल 12 खदानें रकबा 87.09 हेक्टेयर स्वीकृत / विद्यमान है।

4. निकटतम आबादी ग्राम–नंदनी–खुंदनी 0.94 कि.मी., शहर धमधा 8.2 कि.मी., स्कूल ग्राम–नंदनी–खुंदनी लगभग 1.3 कि.मी., प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्राम–नंदनी–खुंदनी लगभग 1.18 कि.मी. की दूरी में स्थित है। राज्यमार्ग 1.87 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 3.17 कि.मी. दूर है।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

6. खनिज गतिविधियों के संचालन हेतु लीज डीड श्री ए.के. वर्मा के नाम पर है, जो 20 वर्षों के लिए दिनांक 02/10/2003 से 01/10/2023 तक की अवधि हेतु है।

7. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1263/खनिज/2015 दुर्ग, दिनांक 05/10/2015 द्वारा खनिपट्टे की अवधि बढ़ाने हेतु पूरक अनुबंध पत्र प्रस्तुत करने बाबत् पत्र जारी किया गया है।

8. जियोलॉजिकल रिजर्व 9,58,500 टन एवं माईनेबल रिजर्व 4,07,050 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.59 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा गया है। उत्खनन ओपन कास्ट मैनुअल विधि से किया जाता है। वर्तमान में 8 मीटर गहराई तक उत्खनन किया गया है। उत्खनन की अधिकतम गहराई 22 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की अल्टिमेट ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर होगी। खदान की संभावित आयु 45 वर्ष है। ड्रिलिंग हेतु जेक हैमरड्रिल का उपयोग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। विभिन्न खनन प्रक्रियाओं हेतु 6 किलोलीटर प्रतिदिन (डस्ट सप्रेशन 2 किलोलीटर प्रतिदिन, प्लांटेशन 2 किलोलीटर प्रतिदिन एवं घरेलू उपयोग हेतु 2 किलोलीटर प्रतिदिन) जल की आवश्यकता होती प्रतिदिन है। जल का स्त्रोत भू–जल है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा। विगत वर्षों के उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वित्तीय वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)
1994–2006	निरंक
2006–2007	4.740
2007–2008	15.383
2008–2009	11.200
2009–2010	6.700
2010–2011	6.100
2011–2012	8.800
2012–2013	8.500
2013–2014	18.600
2014–2015	4.900
2015–2016	8.650
2016–2017	6.500
2017–2018	निरंक
2018–2019	निरंक

उत्खनन की प्रस्तावित योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन क्षमता (टन)
2017–18	9.000
2018–19	9.000
कुल	**18,000**

9 **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस खदान हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है।

एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/02/2019 द्वारा अधिसूचना का.आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्वायरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

प्रकरण उत्खनन का होने के कारण एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/02/2019 द्वारा परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही करने एवं स्थापना सम्मति / संचालन सम्मति जारी नहीं किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई –

1. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण –

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 19 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 19 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 9 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{10}$ 24.8 से 46.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{2.5}$ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 9.0 से 13.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{2x}$ 14.2 से 19.6 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 35.1 डीबीए से 59.5 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 28.4 डीबीए से 42.1 डीबीए पाया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को दिनांक 20/01/2020 को आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 20/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रसीत वर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 20/01/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि आपरिहार्य कारणों (प्रस्तुतीकरण की तैयारी नहीं होने के कारण) से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक के उपरांत आयोजित बैठक में पूर्व में मांगी गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार क्षेत्रीय निदेशक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 315वीं बैठक दिनांक 27/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रसीत वर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि एवं प्रोजेक्ट सलाहकार के रूप में मेसर्स इन सिटु इन्वायरो केयर, भोपाल की ओर से श्री विजय साहू उपस्थित हुए।

समिति द्वारा गठनी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्ष 2013–14 में 18,600 टन उत्खनन किया गया है। तदुपरांत मार्च 2017 से खदान बंद है।
2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया गया है।
3. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. प्रस्तुतीकरण के दौरान ध्वनि के प्रभाव का आकलन तथा ध्वनि प्रतिरूपण (Noise Modelling) संबंधी जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार विचारणीय क्लस्टर के संचालन उपरांत क्लस्टर के परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 50.9 डीबीए से 61.3 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 32.9 डीबीए से 37.8 डीबीए होगी। जो कि निर्धारित मानक के भीतर है।
5. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर बताया गया है, जो कि निर्धारित मानक से अधिक है। इस बाबत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में मॉनिटरिंग स्टेशन क्रमांक 5 (प्रोजेक्ट साईट–V) एवं 6 (प्रोजेक्ट साईट–VI) में परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक है, जिसका मुख्य कारण स्थानीय लोगों द्वारा आवागमन एवं परिवहन हेतु उपयोग किये जाने वाले मार्ग की स्थिति खराब होना है। अतः उक्त मार्ग का डब्ल्यू.बी.एम. मरम्मत एवं जल छिड़काव कर, मॉनिटरिंग स्टेशन 5 एवं 6 में अतिरिक्त मॉनिटरिंग की गई, जिसके अनुसार मॉनिटरिंग स्टेशन 5 एवं 6 में क्रमशः पी.एम.$_{10}$ 92.5 माईक्रोग्राम/घनमीटर एवं 89.2 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाया गया। परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ की मात्रा को निर्धारित मानक से कम रखने के लिए इस गतिविधि को निरंतर किया जाना आवश्यक है। उक्त से स्पष्ट है कि प्रभावी नियंत्रण उपाय (Mitigation measure) एवं पहुँच मार्ग तथा खदान के आस–पास में प्रस्तावित वृक्षारोपण से परिवेशीय वायु की गुणवत्ता में सुधार होना संभावित है।
6. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 40	2%	Rs. 0.80	Following activities at Nearby Government Primary School Village- Patharya	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.33
			Potable Drinking water Facility	Rs. 0.32
			Plantation with Fencing	Rs. 0.12
			Total	**Rs. 0.80**

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

7. लोक सुनवाई दिनांक 03/10/2019 प्रातः 12:00 बजे स्थान शासकीय उचित मूल्य की दुकान के सामने ग्राम–मेडेसरा तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 26/11/2019 द्वारा प्रेषित किया गया है।

8. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. इस क्षेत्र की ज्वलंत समस्या अहिवारा से पॉवर हॉउस रोड जहाँ पर मिट्टी खदानों की बड़ी–बड़ी गाड़िया चलती है, की स्थिति ठीक नहीं है तथा सड़के अत्यंत जर्जर हो चुकी है। इन मार्गों का डी.एम.एफ. से उपलब्ध राशि से संधारण करवाया जाये। डी.एम.एफ. से कोई विकास नहीं हुआ है।

ii. ब्लास्टिंग एक निश्चित समय पर होना चाहिए। सभी खदानों में एक समय पर ब्लास्टिंग होना चाहिए, जिससे सभी सुरक्षित रहेंगे। खदान एवं क्रशर जो चालू होगा उसमें शासन का नियम लागू होगा। उसकी सतत् निगरानी शासन द्वारा किया जाए। क्रशर को पूर्णतः कवर्ड होकर जल छिड़काव की व्यवस्था होनी चाहिए। खदानों से निकलने वाली पानी को मुफ्त में फसलों की सिंचाई हेतु प्रदान किया जाए।

iii. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

iv. खदान में वायु एवं जल प्रदूषण का नियंत्रण होना चाहिए। पर्यावरण के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप खदानों का संचालन होना चाहिए।

v. खदानों में कोई भी वृक्षारोपण नहीं किया गया है। लगभग 300 फीट से भी गहरी खदाने है, जिससे पानी ठहरता नहीं है। जिससे कृषि भूमि प्रभावित हो रही है। ग्रामों में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण नहीं किया गया है। ब्लास्टिंग से बहुत आवाज आती है। अवैधानिक रूप से उत्खनन भी किया जा रहा है।

vi. मिट्टी के परिवहन हेतु बड़ी–बड़ी वाहनें चलती है, जिससे बहुत दुर्घटना होती है। इनकी गति में रोक लगाई जाए। रोड का भी संधारण किया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. डी.एम.एफ. की राशि या रॉयल्टी की राशि से जिला प्रशासन के माध्यम से विकास का कार्य किया जाएगा।

ii. प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल छिड़काव एवं वृक्षारोपण की व्यवस्था की जाएगी।

iii. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी। पूर्व से ही खदानों में कार्यरत व्यक्तियों को भी रोजगार प्रदान किया जाएगा।

iv. जल स्तर 30 मीटर नीचे है। खदान से उत्खनन की अधिकतम गहराई 30 मीटर से कम रखी जाएगी।

v. जो खदानें बंद पड़ी हैं, उनमें वर्षा का पानी भण्डारित है। उनमें जल का संरक्षण किया जाएगा। वर्षा का पानी जिला प्रशासन की अनुमति से नियमानुसार/आवश्यकतानुसार कृषकों को भी दिया जाएगा।

vi. सभी खदानें अपनी लीज क्षेत्र में संचालित है। लीज क्षेत्र से बाहर उत्खनन नहीं किया जा रहा है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. पूर्व में समिति की 258वीं बैठक दिनांक 25/10/2018 को प्रस्तुतीकरण के दौरान यह बताया गया था कि उत्खनन कार्य वर्ष 2013–14 में 16,400 टन है। वर्तमान में वर्ष 2013–14 में 18,600 टन उत्खनन किया जाना बताया गया है। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की जाए।

2. ग्राउण्ड वॉटर टेबल से जल की गहराई के मापन के संबंध में प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत की जाए।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल / स्थल का नाम, पता एवं एस्टीमेट सहित कार्यवार व्यय का विवरण) प्रस्तुत किया जाए।

4. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरोमेंटल प्लान प्रस्तुत किया जाए। क्लस्टर में प्रदूषण नियंत्रण हेतु निर्मित विभिन्न कार्यों (यथा क्लस्टर के सड़कों/एप्रोच रोड का पक्कीकरण एवं संधारण, परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन का नियंत्रण, जल छिड़काव व्यवस्था, सड़कों/एप्रोच रोड के किनारे तथा क्लस्टर में उपलब्ध खुली भूमि में वृक्षारोपण, वाहन सुविधा का शौचालय का उपाय आदि) का विवरण एवं क्लस्टर में सम्मिलित प्रत्येक लीजधारक का उपरोक्त प्रदूषण नियंत्रण के कार्यों के निष्पादन हेतु निर्धारित उत्तरदायित्व का विवरण प्रस्तुत करें।

5. परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति का स्त्रोत स्पष्ट किया जाए। भू–जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

6. उत्खनन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से परिवेशीय वायु, जल एवं ध्वनि गुणवत्ता में हुए विपरीत प्रभाव का आंकलन कर तदानुसार अध्ययन कर संप्रेषित रेमेडियल प्लान तथा मेंचुरल एण्ड कम्युनिटी आगमेंटेशन प्लान, इन्वायरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया जाए।

7. उत्खनन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से मिट्टी की गुणवत्ता में परिवर्तन / दुष्प्रभाव नहीं होने, वृक्षों की कटाई नहीं किए जाने आदि के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।

8. रेस्टोरेशन (Restoration) प्लान प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. **मेसर्स पथरिया लाईम स्टोन माईन (श्री ए. के. वर्मा), ग्राम–पथरिया, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 698)**

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /25048 / 2018, दिनांक 13 / 04 / 2018 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 49449 / 2018, दिनांक 14 / 12 / 2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है।

प्रस्ताव का विवरण – यह दिनांक 15 / 01 / 2016 के पूर्व से संचालित चूना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम–पथरिया, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 751 एवं 752, कुल लीज क्षेत्र 2.16 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता – 9,000 टन प्रतिवर्ष है। खदान 15 / 01 / 2016 के पश्चात् बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के उत्पादन जारी रखने के कारण यह प्रकरण उल्लंघन की श्रेणी का है। इस प्रकरण में समिति की 258वीं बैठक दिनांक 25 / 10 / 2018 को सुनवाई की गई थी जिसमें टी.ओ.आर. जारी करने का निर्णय लिया गया था। प्रकरण के तथ्य निम्नानुसार है–

1. ग्राम पंचायत पथरिया (खा.) द्वारा दिनांक 07 / 02 / 2017 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. नोटिफिकेशन ऑफ माईनिंग प्लान एण्ड प्रोबेबिल माईन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप खान नियंत्रक एवं प्रभारी अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर (छ.ग.) के ज्ञापन क्रमांक दुर्ग / खूप / खपो–314 / नाम / 12–रायपुर, दिनांक 09 / 08 / 2016 (अवधि 2016–17 से 2018–19 तक हेतु) द्वारा अनुमोदित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 609 / खनि.लि. 2 / खनिज / 2017 दुर्ग, दिनांक 30 / 05 / 2017 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में कुल 10 खदानें रकबा 66.22 हेक्टेयर स्वीकृत / विद्यमान है।
4. निकटतम आबादी ग्राम–नंदनी–खुर्दनी 0.9 कि.मी., शहर धमधा 8.2 कि.मी., स्कूल ग्राम–नंदनी–खुर्दनी लगभग 1.34 कि.मी., प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम–नंदनी–खुर्दनी लगभग 1.25 कि.मी. की दूरी में स्थित है। राजमार्ग 1.95 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 3.24 कि.मी. दूर है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्युटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
6. लीज डीड श्री ए.के. वर्मा के नाम पर है, जो 20 वर्षों अर्थात् 02 / 04 / 1994 से 01 / 04 / 2014 तक की अवधि हेतु थी।
7. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1263 / खनिज / 2015 दुर्ग, दिनांक 05 / 10 / 2015 द्वारा खनिपट्टे की अवधि बढ़ाने हेतु पूरक अनुबंध पत्र प्रस्तुत करने बाबत पत्र जारी किया गया है।
8. जियोलॉजिकल रिजर्व 7,92,000 टन एवं माईनेबल रिजर्व 3,76,200 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.42 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा गया है। उत्पादन

ओपन कास्ट मैनुअल विधि से किया जाता है। वर्तमान में 8 मीटर गहराई तक उत्खनन किया गया है। उत्खनन की अधिकतम गहराई 18 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की अल्टिमेट ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर होगी। खदान की संभावित आयु 42 वर्ष है। ड्रिलिंग हेतु जेक हैमरड्रिल का उपयोग किया जाता है। ब्लास्टिंग किया जाता है। विभिन्न खनन प्रक्रियाओं हेतु 6 किलोलीटर प्रतिदिन (डस्ट सप्रेशन 2 किलोलीटर प्रतिदिन, प्लांटेशन 2 किलोलीटर प्रतिदिन एवं घरेलू उपयोग हेतु 2 किलोलीटर प्रतिदिन) जल की आवश्यकता होती प्रतिदिन है। जल का स्त्रोत भू-जल है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा। विगत वर्षों के उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)
1994-1995	50
1995-1996	2,010
1996-1997	7,370
1997-1998	16,170
1998-1999	7,280
1999-2000	3,310
2000-2001	800
2001-2002	50
2002-2003	17,900
2003-2004	10,910
2004-2005	13,780
2005-2006	14,040
2006-2007	5,921
2007-2008	22,523
2008-2009	18,000
2009-2010	6,300
2010-2011	6,400
2011-2012	6,650
2012-2013	5,650
2013-2014	3,400
2014-2015	6,550
2015-2016	3,400
2016-2017	7,600
2017-2018	निरंक
2018-2019	निरंक

उत्खनन की वर्षवार प्रस्तावित योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन क्षमता (टन)

2017–18	9,000
2018–19	9,000
कुल	**18,000**

9. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**:– पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस खदान हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है।

एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/02/2019 द्वारा अधिसूचना का आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्व्हायरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

प्रकरण उल्लंघन का होने के कारण एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/02/2019 द्वारा परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही करने एवं स्थापना सम्मति / संचालन सम्मति जारी नहीं किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण**–

   i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 19 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 19 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 9 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

   ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 24.8 से 46.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 9.0 से 13.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{2}$ 14.2 से 19.6 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 35.1 डीबीए से 59.5 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 28.4 डीबीए से 42.1 डीबीए पाया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को दिनांक 20/01/2020 को आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु

निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 20/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री समीत वर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 20/01/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों (प्रस्तुतीकरण की तैयारी नहीं होने के कारण) से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तदसमय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक के उपरांत आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 315वीं बैठक दिनांक 27/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री समीत वर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि एवं प्रोजेक्ट सलाहकार के रूप में मेसर्स इन सिटु इन्वायरो केयर, भोपाल की ओर से श्री विजय साहू उपस्थित हुए। समिति द्वारा पहली प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्ष 2012–13 में 5,650 टन, वर्ष 2013–14 में 3,400 टन एवं वर्ष 2014–15 में 6,550 टन उत्खनन किया गया है। तदुपरांत मार्च, 2017 से खदान बंद है।
2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया गया है।
3. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. प्रस्तुतीकरण के दौरान ध्वनि के प्रभाव का आकलन तथा ध्वनि प्रतिरूपण (Noise Modelling) संबंधी जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार विचाराधीन क्लस्टर के संचालन उपरांत क्लस्टर के परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 50.9 डीबीए से 61.3 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 32.9 डीबीए से 37.8 डीबीए होगी। जो कि निर्धारित मानक के भीतर है।
5. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर बताया गया है, जो कि निर्धारित मानक से अधिक है। इस बाबत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में मॉनिटरिंग स्टेशन क्रमांक 5 (प्रोजेक्ट साईट–V) एवं 6 (प्रोजेक्ट साईट–VI) में परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक है, जिसका मुख्य कारण स्थानीय लोगों द्वारा आवागमन एवं परिवहन हेतु उपयोग किये जाने वाले मार्ग की स्थिति खराब होना है। अतः उक्त मार्ग का डब्ल्यू.बी.एम. मरम्मत एवं जल छिड़काव कर, मॉनिटरिंग स्टेशन 5 एवं 6 में अतिरिक्त मॉनिटरिंग की गई, जिसके अनुसार मॉनिटरिंग स्टेशन 5 एवं 6 में क्रमशः पी.एम.$_{10}$ 92.5 माईक्रोग्राम/घनमीटर एवं

89.2 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाया गया। परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ की मात्रा को निर्धारित मानक से कम रखने के लिए इस गतिविधि को निरंतर किया जाना आवश्यक है। उक्त से स्पष्ट है कि प्रभावी नियंत्रण उपाय (Mitigation measure) एवं पहुँच मार्ग तथा खदान के आस–पास में प्रस्तावित सघन वृक्षारोपण से परिवेशीय वायु की गुणवत्ता में सुधार होना संभावित है।

6. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 40	2%	Rs. 0.80	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Pathariya	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.33
			Potable Drinking water Facility	Rs. 0.32
			Plantation with Fencing	Rs. 0.12
			Total	**Rs. 0.80**

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

7. लोक सुनवाई दिनांक 03/10/2019 प्रातः 12:00 बजे स्थान शासकीय उचित मूल्य की दुकान के सामने ग्राम–मेड़ेसरा तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 26/11/2019 द्वारा प्रेषित किया गया है।

8. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. इस क्षेत्र की ज्वलंत समस्या अहिवारा से पीपर हीरका रोड जहाँ पर गिट्टी खदानों की बड़ी–बड़ी गाड़ियां चलती है, की स्थिति ठीक नहीं है तथा सड़कें अत्यंत जर्जर हो चुकी है। इन मार्गों का डी.एम.एफ. से उपलब्ध राशि से संधारण करवाया जाये। डी.एम.एफ. से कोई विकास नहीं हुआ है।

ii. ब्लास्टिंग एक निश्चित समय पर होना चाहिए। सभी खदानों में एक समय पर ब्लास्टिंग होना चाहिए, जिससे सभी सुरक्षित रहेंगे। खदान एवं क्रशर जो चालू होगा उसमें शासन का नियम लागू होगा। उसकी सतत निगरानी शासन द्वारा किया जाए। क्रशर को पूर्णतः कव्हर्ड होकर जल छिड़काव की

व्यवस्था होनी चाहिए। खदानों से निकलने वाली पानी को मुफ्त में फसलों की सिंचाई हेतु प्रदान किया जाए।

iii. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

iv. खदान में वायु एवं जल प्रदूषण का नियंत्रण होना चाहिए। पर्यावरण के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप खदानों का संचालन होना चाहिए।

v. खदानों में कोई भी वृक्षारोपण नहीं किया गया है। लगभग 300 फीट से भी गहरी खदानें है, जिससे पानी ठहरता नहीं है। जिससे कृषि भूमि प्रभावित हो रही है। ग्रामों में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण नहीं किया गया है। ब्लास्टिंग से बहुत आवाज आती है। अवैधानिक रूप से उत्खनन भी किया जा रहा है।

vi. मिट्टी के परिवहन हेतु बड़ी–बड़ी वाहनें चलती है, उससे बहुत दुर्घटना होती है। इनकी गति में रोक लगाई जाए। रोड का भी संधारण किया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. डी.एम.एफ. की राशि या रॉयल्टी की राशि से जिला प्रशासन के माध्यम से विकास का कार्य किया जाएगा।

ii. प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल छिड़काव एवं वृक्षारोपण की व्यवस्था की जाएगी।

iii. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी। पूर्व से ही खदानों में कार्यरत व्यक्तियों को भी रोजगार प्रदान किया जाएगा।

iv. जल स्तर 30 मीटर नीचे है। खदान से उत्खनन की अधिकतम गहराई 30 मीटर से कम रखी जाएगी।

v. जो खदानें बंद पड़ी है, उनमें वर्षा का पानी भण्डारित है। उनमें जल का संरक्षण किया जाएगा। वर्षा का पानी जिला प्रशासन की अनुमति से नियमानुसार/आवश्यकतानुसार कृषकों को भी दिया जाएगा।

vi. सभी खदानें अपनी लीज क्षेत्र में संचालित है। लीज क्षेत्र से बाहर उत्खनन नहीं किया जा रहा है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. पूर्व में समिति की 258वीं बैठक दिनांक 25/10/2018 को प्रस्तुतीकरण के दौरान यह बताया गया था कि उत्खनन कार्य वर्ष 2012–13 में 5,750 टन, वर्ष 2013–14 में 4,550 टन एवं वर्ष 2014–15 में 4,900 टन है। वर्तमान में वर्ष 2012–13 में 5,660 टन, वर्ष 2013–14 में 3,400 टन एवं वर्ष 2014–15 में 6,550 टन उत्खनन किया जाना बताया गया है। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की जाए।

2. ग्राउण्ड वॉटर टेबल में जल की गहराई के मापन के संबंध में प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत की जाए।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल / स्थल का नाम, पता एवं एस्टीमेट सहित कार्यवार व्यय का विवरण) प्रस्तुत किया जाए।

4. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरमेंटल प्लान प्रस्तुत किया जाए। क्लस्टर में प्रदूषण नियंत्रण हेतु चिन्हित विभिन्न कार्यों (यथा क्लस्टर के सड़कों/एप्रोच रोड का पक्कीकरण एवं संधारण, परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन का नियंत्रण, जल छिड़काव व्यवस्था, सड़कों/एप्रोच रोड के किनारे तथा क्लस्टर में उपलब्ध खुली भूमि में वृक्षारोपण, वाहन दुर्घटना का रोकथाम का उपाय, आदि) का विवरण एवं क्लस्टर में सम्मिलित प्रत्येक लीजधारक का उपरोक्त प्रदूषण नियंत्रण के कार्यों के निष्पादन हेतु निर्धारित उत्तरदायित्व का विवरण प्रस्तुत करें।

5. परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति का स्त्रोत स्पष्ट किया जाए। भू-जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

6. उल्लंघन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से परिवेशीय वायु, जल एवं ध्वनि गुणवत्ता में हुए विपरीत प्रभाव का आकलन कर, तदानुसार अध्ययन कर संशोधित रेमेडियल प्लान तथा नेचुरल एण्ड कम्युनिटी आगुमेंटेशन प्लान, इन्वॉयरमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्वॉयरमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया जाए।

7. उल्लंघन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से मिट्टी की गुणवत्ता में परिवर्तन / दुष्प्रभाव नहीं होने, वृक्षों की कटाई नहीं किए जाने आदि के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।

8. रेस्टोरेशन (Restoration) प्लान प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स हर हर महादेव कन्सट्रक्शन (प्रो.- श्री भूपेन्द्र सिंह विश्वकर्मा), ग्राम-माकड़ी सिंगराय, तहसील-कांकेर, जिला-उ.ब. कांकेर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 911ए)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 38080/ 2019, दिनांक 27/06/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियॉं होने से ज्ञापन दिनांक 16/07/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 14/12/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-माकड़ी सिंगराय, तहसील-कांकेर, जिला-उ.ब. कांकेर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 129, कुल क्षेत्रफल-3 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-17,160 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-**

1. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (अद्यतन) प्रस्तुत किया जाए।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को दिनांक 20/01/2020 के आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत ई-मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

(ब) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 20/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। **समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तद्नुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 315वीं बैठक दिनांक 27/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री भूपेन्द्र सिंह विश्वकर्मा, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत माकड़ी खुना का दिनांक 07/04/2016 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-बालोद के ज्ञापन क्रमांक 199/खनि.लि./खनिज/2019 बालोद, दिनांक 07/06/2019 द्वारा अनुमोदित की गई है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उ.ब. कांकेर के ज्ञापन 096बी/खनिज/ई-निविदा 8926/2018 कांकेर, दिनांक 30/05/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान क्षेत्रफल 2.7 हेक्टेयर, 258 मीटर की दूरी पर है।
4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उ.ब. कांकेर के ज्ञापन 511/खनिज/ई-निविदा 8926/2019 कांकेर, दिनांक 17/10/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 765/खनिज/ई-निविदा/टेंडर नंबर 8926/2018 कांकेर, दिनांक 28/02/2019 द्वारा जारी की गई।

6. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र (अज्ञातन) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–माकडी सिमराव 0.3 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–माकडी सिमराव 0.3 कि.मी. पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कि.मी. एवं राजमार्ग 5 कि.मी. दूर है। विनार नदी 1.2 कि.मी. दूर है।

9. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 9,36,000 टन, माईनेबल रिजर्व 8,14,109 टन एवं रिकाइरेबल रिजर्व 5,95,686 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.593 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। ढलाव स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 5,421 घनमीटर एवं मोटाई 0.3 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन)
प्रथम	1,800	1.5	2,700	6,809
द्वितीय	2,300	1.5	3,450	8,701
तृतीय	1,700	1.5	4,200	10,591
	1,100	1.5		
चतुर्थ	3,200	1.5	4,800	12,106
पंचम	3,500	1.5	5,250	13,241

आगामी वर्षों का उत्खनन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन)
छटवें	3,800	1.5	5,700	14,375
सातवें	965	1.5	6,096	15,378
	3,100	1.5		
आठवें	4,400	1.5	6,600	16,645
नौवें	4,400	1.5	6,600	16,645
दसवें	4,400	1.5	6,600	16,645

11. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ट्यूब वेल से की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।

12. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 1,500 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

14. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है—

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—उ.ब. कांकेर के ज्ञापन 0964वी/खनिज/ई—निविदा 8926/2018 कांकेर, दिनांक 30/06/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान क्षेत्रफल 2.7 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम—माकड़ी सिंगराय) का रकबा 3 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम—माकड़ी सिंगराय) को मिलाकर कुल रकबा 5.7 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टेण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्टस/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टेण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्टस हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई—

   i. Project Proponent shall submit an action plan for plantation around 7.5 meter of mine lease periphery within one year.
   ii. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
   iii. Project Proponent shall submit NOC from Forest Department.
   iv. Project Proponent shall submit CER proposals with details of works and detailed estimates.

v. Project Proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

vi. Project Proponent shall submit NOC from CGWA for ground water usage.

vii. Project Proponent shall submit Restoration Plan.

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स सहगांव लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्रीमती रत्ना पाण्डे), ग्राम–सहगांव, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 710)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /25439/2018, दिनांक 14/04/2018 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 48477/ 2018, दिनांक 16/12/2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है।

प्रस्ताव का विवरण – यह दिनांक 15/01/2016 के पूर्व से संचालित चूना पत्थर खदान (मुख्य खनिज) है। यह खदान ग्राम–सहगांव, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 324/1, 324/2, 324/3 एवं 326/2, कुल लीज क्षेत्र 1.3 हेक्टेयर है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 9,000 टन प्रतिवर्ष है। खदान 15/01/2016 के पश्चात् बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के उत्खनन जारी रखने के कारण यह प्रकरण उल्लंघन की श्रेणी का है। इस प्रकरण में समिति की 258वीं बैठक दिनांक 25/10/2018 को सुनवाई की गई थी, जिसमें टीओआर जारी करने का निर्णय लिया गया था। प्रकरण के तथ्य निम्नानुसार है–

1. ग्राम पंचायत पथरिया द्वारा दिनांक 05/04/1995 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. मॉडिफिकेशन ऑफ माईनिंग प्लान एण्ड प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप खान नियंत्रक एवं प्रभारी अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक दुर्ग/चूप/खयो–679/2016/रायपुर दिनांक 11/08/2016 (अवधि 2016–17 से 2018–19 तक हेतु) द्वारा अनुमोदित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 910/खनि.लि. 2/खनित/2017 दुर्ग, दिनांक 24/06/2017 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में कुल 15 खदानें रकबा 75.20 हेक्टेयर स्वीकृत / विद्यमान है।
4. निकटतम आबादी ग्राम–नंदनी–खुंदनी 0.37 कि.मी., शहर धमधा 5.9 कि.मी. स्कूल ग्राम–नंदनी–खुंदनी लगभग 0.37 कि.मी., प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्राम–नंदनी–खुंदनी लगभग 0.39 कि.मी. एवं निकटतम रेल्वे स्टेशन भिलाई पॉवर हॉउस लगभग 22.8 कि.मी. की दूरी में स्थित है। राज्यमार्ग 1.028 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 0.48 कि.मी. दूर है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड

क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

6. लीज डीड श्रीमती रत्ना पाण्डे के नाम पर है। लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् 29/07/2002 से 28/07/2022 तक की अवधि हेतु वैध है।

7. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1283/खनिज/2015 दुर्ग दिनांक 05/10/2015 द्वारा खनिपट्टे की अवधि बढ़ाने हेतु पूरक अनुबंध पत्र प्रस्तुत करने बाबत पत्र जारी किया गया है।

8. जियोलॉजिकल रिजर्व 3,60,000 टन एवं माईनेबल रिजर्व 1,51,250 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.42 हेक्टेयर) क्षेत्र छोड़ा गया है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। भू-भाग के 9,000 वर्गमीटर क्षेत्र पर उत्खनन होना बताया गया है। उत्खनन की वर्तमान गहराई 10 मीटर है। खदान की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 16 मीटर है। खदान की संभावित आयु 17 वर्ष है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 1,350 वर्गमीटर एवं मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर होगी। विभिन्न खनन प्रक्रियाओं हेतु 6 किलोलीटर प्रतिदिन (डस्ट सप्रेशन 2 किलोलीटर प्रतिदिन, प्लांटेशन 2 किलोलीटर प्रतिदिन एवं घरेलू उपयोग हेतु 2 किलोलीटर प्रतिदिन) जल की आवश्यकता होती प्रतिदिन है। जल की आपूर्ति भू-जल से की जाती है। ड्रिलिंग हेतु जैक हैमर ड्रिल का उपयोग किया जाता है। ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा। विगत वर्षों के उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)
1994-2004	निरंक
2004-2005	1,200
2005-2006	3,260
2006-2007	13,800
2007-2008	17,850
2008-2009	15,100
2009-2010	1,900
2010-2011	5,155
2011-2012	5,390
2012-2013	9,100
2013-2014	4,830
2014-2015	1,310
2015-2016	900
2016-2017	2640
2017-2018	250
2018-2019	निरंक

उत्खनन की वर्षवार प्रस्तावित योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन क्षमता ROM (टन)
2017-18	9.000
2018-19	9.000
कुल	**29.210**

10. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण** – पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस खदान हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/02/2019 द्वारा अधिसूचना का आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्वॉयरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्वॉयरोमेंट मेनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टेण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

प्रकरण उत्खनन का होने के कारण एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/02/2019 द्वारा परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार विधिनिक कार्यवाही करने एवं स्थापना सम्मति / संचालन सम्मति जारी नहीं किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020

समिति द्वारा नवीन प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण –**

   i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 19 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 19 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 9 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

   ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{10}$ 24.8 से 46.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{2.5}$ 83 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 9.0 से 13.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{2x}$ 14.2 से 19.6 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 35.1 डीबीए से 59.5 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 28.4 डीबीए से 42.1 डीबीए पाया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

2. परियोजना प्रस्तावक को दिनांक 20/01/2020 को आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 20/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 20/01/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों (प्रस्तुतीकरण की तैयारी नहीं होने के कारण) से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक के उपरांत आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 315वीं बैठक दिनांक 27/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजीव पाण्डे, अधिकृत प्रतिनिधि एवं प्रोजेक्ट सलाहकार के रूप में मेसर्स इन सिटू इन्वायरो केयर, भोपाल की ओर से श्री विजय साहू उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्ष 2017–18 में 250 टन उत्खनन किया गया है।

2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया गया है।

3. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरोमेंटल प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।

4. प्रस्तुतीकरण के दौरान ध्वनि के प्रभाव का आकलन तथा ध्वनि प्रतिरूपण (Noise Modelling) संबंधी जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार विचाराधीन क्लस्टर के संचालन उपरांत क्लस्टर के परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 50.9 डीबीए से 61.3 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 32.9 डीबीए से 37.8 डीबीए होगी। जो कि निर्धारित मानक के भीतर है।

5. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर बताया गया है, जो कि निर्धारित मानक से अधिक है। इस बाबत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में मॉनिटरिंग स्टेशन क्रमांक 5 (प्रोजेक्ट साईट–V) एवं 6 (प्रोजेक्ट साईट–VI) में परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक है, जिसका मुख्य कारण स्थानीय

लोगों द्वारा आवागमन एवं परिवहन हेतु उपयोग किये जाने वाले मार्ग की स्थिति खराब होना है। अतः उक्त मार्ग का डब्ल्यू.बी.एम. मरम्मत एवं जल छिड़काव कर मॉनिटरिंग स्टेशन 5 एवं 6 में अतिरिक्त मॉनिटरिंग की गई, जिसके अनुसार मॉनिटरिंग स्टेशन 5 एवं 6 में क्रमशः पी.एम.$_{10}$ 92.5 माईक्रोग्राम/घनमीटर एवं 89.2 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाया गया। परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ की मात्रा को निर्धारित मानक से कम रखने के लिए इस गतिविधि को निरंतर किया जाना आवश्यक है। उक्त से स्पष्ट है कि प्रभावी नियंत्रण उपाय (Mitigation measure) एवं पहुँच मार्ग तथा खदान के आस-पास में प्रस्तावित सघन वृक्षारोपण से परिवेशीय वायु की गुणवत्ता में सुधार होना संभावित है।

6. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 40	2%	Rs. 0.80	Following activities at Nearby Government School Village-Sahgaon	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.33
			Potable Drinking water Facility	Rs. 0.32
			Plantation with Fencing	Rs. 0.15
			Total	**Rs. 0.80**

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

7. लोक सुनवाई दिनांक 03/10/2019 प्रातः 12:00 बजे स्थान शासकीय उचित मूल्य की दुकान के सामने ग्राम-मेडेसरा तहसील-धमधा, जिला-दुर्ग में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 26/11/2019 द्वारा प्रेषित किया गया है।

8. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-**

   i. इस क्षेत्र की ज्वलंत समस्या अहिवारा से पावर हाउस रोड जहाँ पर गिट्टी खदानों की बड़ी-बड़ी गाड़ियां चलती है, की स्थिति ठीक नहीं है तथा सड़कें अत्यंत जर्जर हो चुकी है। इन मार्गों का डी.एम.एफ. से उपलब्ध राशि से सुधारण करवाया जाये। डी.एम.एफ. से कोई विकास नहीं हुआ है।

   ii. ब्लास्टिंग एक निश्चित समय पर होना चाहिए। सभी खदानों में एक समय पर ब्लास्टिंग होना चाहिए, जिससे सभी सुरक्षित रहेंगे। खदान एवं क्रेशर जो

चालू होगा उसमें शासन का नियम लागू होगा। उसकी सतत् निगरानी शासन द्वारा किया जाए। क्रशर को पूर्णतः कव्हर्ड होकर जल छिड़काव की व्यवस्था होनी चाहिए। खदानों से निकलने वाली पानी को मुफ्त में फसलों की सिंचाई हेतु प्रदान किया जाए।

iii. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

iv. खदान में वायु एवं जल प्रदूषण का नियंत्रण होना चाहिए। पर्यावरण के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप खदानों का संचालन होना चाहिए।

v. खदानों में कोई भी वृक्षारोपण नहीं किया गया है। लगभग 300 फीट से भी गहरी खदानें है, जिससे पानी ठहरता नहीं है। जिससे कृषि भूमि प्रभावित हो रही है। ग्रामों में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण नहीं किया गया है। ब्लास्टिंग से बहुत आवाज आती है। अवैधानिक रूप से उत्खनन भी किया जा रहा है।

vi. गिट्टी के परिवहन हेतु बड़ी–बड़ी वाहनें चलती है, उससे बहुत दुर्घटना होती है। इनकी गति में रोक लगाई जाए। रोड का भी संधारण किया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. डी.एम.एफ. की राशि या रॉयल्टी की राशि से जिला प्रशासन के माध्यम से विकास का कार्य किया जाएगा।

ii. प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल छिड़काव एवं वृक्षारोपण की व्यवस्था की जाएगी।

iii. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी। पूर्व से ही खदानों में कार्यरत व्यक्तियों को भी रोजगार प्रदान किया जाएगा।

iv. जल स्तर 30 मीटर नीचे है। खदान से उत्खनन की अधिकतम गहराई 30 मीटर से कम रखी जाएगी।

v. जो खदानें बंद पड़ी है, उनमें वर्षा का पानी भण्डारित है। उनमें जल का संरक्षण किया जाएगा। वर्षा का पानी जिला प्रशासन की अनुमति से नियमानुसार/आवश्यकतानुसार कृषकों को भी दिया जाएगा।

vi. सभी खदानें अपनी लीज क्षेत्र में संचालित है। लीज क्षेत्र से बाहर उत्खनन नहीं किया जा रहा है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. पूर्व में समिति की 268वीं बैठक दिनांक 25/10/2018 को प्रस्तुतीकरण के दौरान यह बताया गया था कि उत्खनन कार्य अप्रैल, 2017 से बंद है। वर्तमान में वर्ष 2017–18 में 250 टन उत्खनन किया जाना बताया गया है। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की जाए।

2. ग्राउण्ड वॉटर टेबल में जल की गहराई के मापन के संबंध में प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत की जाए।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल / स्थल का नाम, पता एवं एस्टीमेट सहित कार्यवार व्यय का विवरण) प्रस्तुत किया जाए।

4. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरमेंटल प्लान प्रस्तुत किया जाए। क्लस्टर में प्रदूषण नियंत्रण हेतु चिन्हित विभिन्न कार्यों (यथा क्लस्टर के सड़कों/एप्रोच रोड का पक्कीकरण एवं संधारण, परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन का नियंत्रण, जल छिड़काव व्यवस्था, सड़कों/एप्रोच रोड के किनारे तथा क्लस्टर मे उपलब्ध खुली भूमि में वृक्षारोपण, वाहन दुर्घटना का रोकथाम का उपाय, आदि) का विवरण एवं क्लस्टर में सम्मिलित प्रत्येक लीजधारक का उपरोक्त प्रदूषण नियंत्रण के कार्यों के निष्पादन हेतु निर्धारित उत्तरदायित्व का विवरण प्रस्तुत करें।

5. परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति का स्त्रोत स्पष्ट किया जाए। भू-जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

6. उल्लंघन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से परिवेशीय वायु, जल एवं ध्वनि गुणवत्ता में हुए विपरीत प्रभाव का आंकलन कर, तदानुसार अध्ययन कर संशोधित रेमेडियल प्लान तथा नेचुरल एण्ड कम्युनिटी आगुमेंटेशन प्लान, इन्व्हॉयरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्व्हॉयरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया जाए।

7. उल्लंघन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से मिट्टी की गुणवत्ता में परिवर्तन / दुष्प्रभाव नहीं होने, वृक्षों की कटाई नहीं किए जाने आदि के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

8. रेस्टोरेशन (Restoration) प्लान प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स नन्द कुमार कुम्भकार (नंदनी-खुंदनी लाईम स्टोन माईन्स), ग्राम-नंदनी-खुंदनी, तहसील-धमधा, जिला-दुर्ग (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 735/)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /28528/2018, दिनांक 02/08/2018 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 48289/ 2018, दिनांक 11/12/2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है।

प्रस्ताव का विवरण – यह दिनांक 15/01/2016 के पूर्व से संचालित चूना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम-नंदनी-खुंदनी, तहसील-धमधा, जिला-दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 416, 417, 418, 423, 436 एवं 437, कुल लीज क्षेत्र 2.96 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 40,000 टन प्रतिवर्ष है। खदान 15/01/2016 के पश्चात् बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के उत्खनन जारी रखने के कारण यह प्रकरण उल्लंघन की श्रेणी का है। इस प्रकरण में समिति की 260वीं बैठक दिनांक 27/10/2018 को सुनवाई की गई थी, जिसमें टीओआर जारी करने का निर्णय लिया गया था। प्रकरण के तथ्य निम्नानुसार है–

1. ग्राम पंचायत नंदनी–खुदनी द्वारा दिनांक 24/05/2008 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्कीम ऑफ माईनिंग प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर के ज्ञापन क्रमांक डीओआरजी/एलएसडी/एसपीएलएन–554/नागपुर, दिनांक 05/09/2013 (वर्ष 2013–14 से 2017–18 तक की अवधि) द्वारा अनुमोदित है।

3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 595/खनि.नि.2/खनिज/2017 दुर्ग, दिनांक 27/05/2017 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में कुल 12 खदानें रकबा 66.01 हेक्टेयर स्वीकृत / विद्यमान है।

4. समीपस्थ आबादी ग्राम–सहगांव 920 मीटर, शहर दुर्ग 28 कि.मी., स्कूल ग्राम–सहगांव 950 मीटर, प्राथमरी मेडिकल 950 मीटर एवं रेल्वे स्टेशन दुर्ग 28 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 28 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1.57 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 1.1 कि.मी. की दूरी पर है।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

6. पूर्व में खनिज गतिविधियों के संचालन हेतु श्री उत्तर सिंह ठाकुर के नाम पर लीज डीड दिनांक 04/03/1998 को जारी किया गया था। लीज श्री नन्द कुमार कुम्भकार के नाम पर दिनांक 26/12/2006 को हस्तांतरित हुई। लीज डीड 20 वर्षों के लिए दिनांक 04/03/1998 से 03/03/2018 तक की अवधि हेतु थी। तदुपरांत दिनांक 03/03/2048 तक लीज वृद्धि की गई है।

7. जियोलॉजिकल रिजर्व 9,68,230 टन एवं माईनेबल रिजर्व 4,04,756 टन है। लीज क्षेत्र की चारों ओर 7.5 मीटर (0.75 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा गया है। ओपन कास्ट विधि से उत्खनन किया जाता है। वर्तमान में 2 हेक्टेयर भू–भाग में उत्खनन किया गया है। वर्तमान में 20–26 मीटर गहराई तक उत्खनन किया गया है। उत्खनन की अंतिम गहराई 26 मीटर होगी। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 2.0 मीटर है। वर्तमान में बेंच की चौड़ाई 3 से 10 मीटर है। बेंच की अंतिम चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 4 मीटर एवं 06 मीटर होगी। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। ड्रिलिंग हेतु जेक हेमर ड्रिल का उपयोग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। जल उपभोग की मात्रा 7 किलोलीटर प्रतिदिन (डस्ट सप्रेशन 2 किलोलीटर प्रतिदिन, ग्रीन बेल्ट 2 किलोलीटर प्रतिदिन एवं घरेलू उपयोग हेतु 3 किलोलीटर प्रतिदिन) है। जल का स्त्रोत भू–जल है। प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव एवं वृक्षारोपण किया जाता है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा। विगत वर्षों के उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वित्तीय वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)
1994–1997	निरंक
1998–1999	290
1999–2000	130

2000–2001	60
2001–2002	200
2002–2003	2,700
2003–2004	90
2004–2005	80
2005–2006	81
2006–2007	215
2007–2008	8,095
2008–2009	15,650
2009–2010	11,750
2010–2011	14,415
2011–2012	21,460
2012–2013	21,500
2013–2014	21,500
2014–2015	20,590
2015–2016	26,200
2016–2017	32,400
2017–2018	निरंक
2018–2019	निरंक

उत्खनन की वर्षवार योजना
(स्कीम ऑफ माईनिंग प्लान अनुसार)

वर्ष	उत्खनन (टन)
2013–14	16,350
	13,275
2014–15	11,850
	16,500
2015–16	35,250
2016–17	34,500
2017–18	40,000
कुल	**1,67,725**

8. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/02/2019 द्वारा अधिसूचना का.आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्व्हायरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्टस हेतु टीओआर जारी किया गया।

प्रकरण उल्लंघन का होने के कारण एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/02/2019 द्वारा परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम,

1986 के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही करने एवं स्थापना सम्मति / संचालन सम्मति जारी नहीं किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12 / 12 / 2019:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:–**

   i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 19 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 19 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 9 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

   ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 24.8 से 46.1 माईक्रोग्राम / घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम / घनमीटर, एसओ$_2$ 9.0 से 13.9 माईक्रोग्राम / घनमीटर तथा एनओ$_x$ 14.2 से 19.6 माईक्रोग्राम / घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 35.1 डीबीए से 59.5 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 28.4 डीबीए से 42.1 डीबीए पाया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01 / 05 / 2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13 / 01 / 2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 307वीं बैठक दिनांक 18 / 01 / 2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 17 / 01 / 2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः दिनांक 20 / 01 / 2020 के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को दिनांक 20 / 01 / 2020 के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को दूरभाष के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 20/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री हरिशंकर कुम्भकार, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 20/01/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों (प्रस्तुतीकरण की तैयारी नहीं होने के कारण) से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक के उपरांत आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 315वीं बैठक दिनांक 27/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री हरिशंकर कुम्भकार, अधिकृत प्रतिनिधि एवं प्रोजेक्ट सलाहकार के रूप में मेसर्स इन सिटु इन्वायरो केयर, भोपाल की ओर से श्री विजय साहू उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्ष 2012-13 में 21,500 टन उत्खनन किया गया है।
2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सीमा क्षेत्र के कुल 571 वर्गमीटर क्षेत्र में पूर्व से ही उत्खनन कार्य किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा इस 571 वर्गमीटर क्षेत्र को भरकर उसमें रोपण कार्य किया जाएगा।
3. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरोमेंटल प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. प्रस्तुतीकरण के दौरान ध्वनि के प्रभाव का आकलन तथा ध्वनि प्रतिरूपण (Noise Modelling) संबंधी जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार विचाराधीन क्लस्टर के संचालन उपरांत क्लस्टर के परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 50.9 डीबीए से 61.3 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 32.9 डीबीए से 37.8 डीबीए होगी। जो कि निर्धारित मानक के भीतर है।
5. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर बताया गया है, जो कि निर्धारित मानक से अधिक है। इस बाबत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में मॉनिटरिंग स्टेशन क्रमांक 5 (प्रोजेक्ट साईट-V) एवं 6 (प्रोजेक्ट साईट-VI) में परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक है, जिसका मुख्य कारण स्थानीय लोगों द्वारा आवागमन एवं परिवहन हेतु उपयोग किये जाने वाले मार्ग की स्थिति खराब होना है। अतः उक्त मार्ग का डब्ल्यू.बी.एम. मरम्मत एवं जल छिड़काव कर, मॉनिटरिंग स्टेशन 5 एवं 6 में अतिरिक्त मॉनिटरिंग की गई, जिसके अनुसार मॉनिटरिंग स्टेशन 5 एवं 6 में क्रमशः पी.एम.$_{10}$ 92.5 माईक्रोग्राम/घनमीटर एवं 89.2 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाया गया। परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ की मात्रा को

निर्धारित मानक से कम रखने के लिए इस गतिविधि को नियंत्रित किया जाना आवश्यक है। उक्त से स्पष्ट है कि प्रभावी नियंत्रण उपाय (Mitigation measure) एवं पहुँच मार्ग तथा खदान के आस–पास में प्रस्तावित सघन वृक्षारोपण से परिवेशीय वायु की गुणवत्ता में सुधार होना संभावित है।

6. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 40	2%	Rs. 0.80	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Nandini Khundini	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.33
			Potable Drinking water Facility	Rs. 0.32
			Plantation with Fencing	Rs. 0.15
			Total	**Rs. 0.80**

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

7. लोक सुनवाई दिनांक 03/10/2019 प्रातः 12:00 बजे स्थान शासकीय उचित मूल्य की दुकान के सामने ग्राम–मेडेसरा तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 26/11/2019 द्वारा प्रेषित किया गया है।

8. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

   i. इस क्षेत्र की ज्वलंत समस्या अहिवारा से पीपर हीउरा रोड जहाँ पर गिट्टी खदानों की बड़ी–बड़ी गाड़ियां चलती है, की स्थिति ठीक नहीं है तथा सड़कें अत्यंत जर्जर हो चुकी है। इन मार्गों का डी.एम.एफ. से उपलब्ध राशि से संधारण करवाया जाये। डी.एम.एफ. से कोई विकास नहीं हुआ है।

   ii. ब्लास्टिंग एक निश्चित समय पर होना चाहिए। सभी खदानों में एक समय पर ब्लास्टिंग होना चाहिए, जिससे सभी सुरक्षित रहेंगे। खदान एवं क्रशर जो चालू होगा उसमें शासन का नियम लागू होगा। उसकी सतत् निगरानी शासन द्वारा किया जाए। क्रशर को पूर्णतः कव्हर्ड होकर जल छिड़काव की व्यवस्था होनी चाहिए। खदानों से निकलने वाली पानी को मुफ्त में फसलों की सिंचाई हेतु प्रदान किया जाए।

iii. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

iv. खदान में वायु एवं जल प्रदूषण का नियंत्रण होना चाहिए। पर्यावरण के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप खदानों का संचालन होना चाहिए।

v. खदानों में कोई भी वृक्षारोपण नहीं किया गया है। लगभग 300 फीट से भी गहरी खदानें है, जिससे पानी ठहरता नहीं है। जिससे कृषि भूमि प्रभावित हो रही है। ग्रामों में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण नहीं किया गया है। ब्लास्टिंग से बहुत आवाज आती है। अवैधानिक रूप से उत्खनन भी किया जा रहा है।

vi. गिट्टी के परिवहन हेतु बड़ी–बड़ी वाहने चलती है, उससे बहुत दुर्घटना होती है। इनकी गति में रोक लगाई जाए। रोड का भी संधारण किया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. डी.एम.एफ. की राशि या रॉयल्टी की राशि से जिला प्रशासन के माध्यम से विकास का कार्य किया जाएगा।

ii. प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल छिड़काव एवं वृक्षारोपण की व्यवस्था की जाएगी।

iii. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी। पूर्व से ही खदानों में कार्यरत व्यक्तियों को भी रोजगार प्रदान किया जाएगा।

iv. जल स्तर 30 मीटर नीचे है। खदान से उत्खनन की अधिकतम गहराई 30 मीटर से कम रखी जाएगी।

v. जो खदाने बंद पड़ी है, उनमें वर्षा का पानी भण्डारित है। उनमें जल का संरक्षण किया जाएगा। वर्षा का पानी जिला प्रशासन की अनुमति से नियमानुसार/आवश्यकतानुसार कृषकों को भी दिया जाएगा।

vi. सभी खदाने अपनी लीज क्षेत्र में संचालित है। लीज क्षेत्र से बाहर उत्खनन नहीं किया जा रहा है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. पूर्व में समिति की 260वीं बैठक दिनांक 27/10/2018 को प्रस्तुतीकरण के दौरान यह बताया गया था कि उत्खनन कार्य वर्ष 2012–13 में 16,800 टन है। वर्तमान में वर्ष 2012–13 में 21,500 टन उत्खनन किया जाना बताया गया है। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की जाए।

2. भूजल स्तर/वॉटर टेबल में जल की गहराई के मापन के संबंध में प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत की जाए।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल / स्थल का नाम, पता एवं एस्टीमेट सहित कार्यवार व्यय का विवरण) प्रस्तुत किया जाए।

4. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरोमेंटल प्लान प्रस्तुत किया जाए। क्लस्टर में प्रदूषण नियंत्रण हेतु चिन्हित विभिन्न कार्यों (यथा क्लस्टर के सड़कों/एप्रोच रोड का

पक्कीकरण एवं साधारण परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन का नियंत्रण, जल छिड़काव व्यवस्था, सड़कों/एप्रोच रोड के किनारे तथा क्लस्टर में उपलब्ध खुली भूमि में वृक्षारोपण, वाहन दुर्घटना का रोकथाम का उपाय, आदि) का विवरण एवं क्लस्टर में सम्मिलित प्रत्येक लीजधारक का उपरोक्त प्रदूषण नियंत्रण के कार्यों के निष्पादन हेतु निर्धारित उत्तरदायित्व का विवरण प्रस्तुत करें।

5. परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति का स्त्रोत स्पष्ट किया जाए। भू–जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

6. उत्खनन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से परिवेशीय वायु, जल एवं ध्वनि गुणवत्ता में हुए विपरीत प्रभाव का आंकलन कर, तदानुसार अध्ययन कर संशोधित रेमेडियल प्लान तथा नेचुरल एण्ड कम्युनिटी आगुमेंटेशन प्लान, इन्वॉयरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्वॉयरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया जाए।

7. उत्खनन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से मिट्टी की गुणवत्ता में परिवर्तन / दुष्प्रभाव नहीं होने, पूर्व की कटाई नहीं किए जाने आदि के संबंध में जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।

8. रेस्टोरेशन (Restoration) प्लान प्रस्तुत किया जाए।

9. लीज क्षेत्र की सीमा से स्थित 7.5 मीटर चौड़ी पट्टी में पूर्व से उत्खनित 571 घनमीटर क्षेत्र के पुनःभराव एवं संरक्षण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स तिरूपति बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड(03), ग्राम–बदुराबहार, तहसील–पत्थलगांव, जिला–जशपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1110)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 135709/ 2020, दिनांक 08/01/2020।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बदुराबहार, तहसील–पत्थलगांव, जिला–जशपुर स्थित खसरा क्रमांक 1026/2, 1026/5, 1026/6 एवं 1027, कुल क्षेत्रफल – 0.555 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 25,035.92 टन प्रतिवर्ष है। यह प्रकरण राजस्व क्षेत्र में एक अस्थाई खनन अनुमति का है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्पश्चात **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. यदि खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई हो, तो जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

2. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

4. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(4) समिति की 315वीं बैठक दिनांक 27/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दीपक चतुर्वेदी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बटुराबहार का दिनांक 21/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – टी.पी. क्वारी प्लान, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 2175/खनिज/खलि.3/उत्खनन यो./2019 दिनांक 29/11/2019 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 349/खनि.शा./2019 जशपुर, दिनांक 10/12/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 4 खदानें, कुल क्षेत्रफल 3.632 हेक्टेयर है।

4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 326/ खनि.शा./2019 जशपुर, दिनांक 04/12/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, ब्रीज, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

5. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक/284/खनि.शा./2019 जशपुर, दिनांक 22/11/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 2 वर्ष हेतु वैध है।

6. भूमि श्रीमति अनंदा बाई, श्री लोदोराम, श्री माझीराम, श्रीमति नवोरो बाई, श्री बुधनी बाई एवं श्री घुपान के नाम पर है। उत्खनन हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

7. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जशपुर वनमण्डल, जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक /मा.चि./2019/5164 जशपुर, दिनांक 09/10/2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 5 कि.मी. की दूरी पर है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बटुराबहार 0.7 कि.मी., स्कूल ग्राम–बटुराबहार 1 कि.मी. एवं अस्पताल फरसाबहार 15 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4.9 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 5.8 कि.मी. दूर है। कुरही नदी 1.25 कि.मी., नाला 1.95 कि.मी. एवं तालाब 0.315 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 72,150 टन, माईनेबल रिजर्व 29,910 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 28,414 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.216 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। क्रशर लगाया जाना प्रस्तावित नहीं है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 2,701 घनमीटर एवं मोटाई 1 मीटर है। ओव्हरबर्डन को माईन बाउण्ड्री में डम्प किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 2 वर्ष है। कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन में)
प्रथम	25,036
द्वितीय	3,379

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंकों का राउण्डऑफ किया गया है।

12. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5.32 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के माध्यम से टैंकर द्वारा की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।

13. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 429 नग पौधे एवं खदान के गैर उत्खनन क्षेत्र में अतिरिक्त 177 नग पौधे प्रथम वर्ष में लगाया जाना प्रस्तावित है।

14. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**:–

   i. इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि यह एक नवीन खदान है।

15. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 19.9	2%	Rs. 0.40	Following activities at Nearby Government Naveen Primary School Village-Chandragarh	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.68
			Plantation	Rs. 0.10
			Book distribution for Environment Awareness Programme	Rs. 0.10
			Total	**Rs. 0.88**

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 349/खनि. शा./2019 जशपुर, दिनांक 10/12/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 4 खदानें, कुल क्षेत्रफल 3.632 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–बटुराबहार) का रकबा 0.555 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–बटुराबहार) को मिलाकर कुल रकबा 4.187 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से ग्राम–बटुराबहार, तहसील–पत्थलगांव, जिला–जशपुर स्थित खसरा क्रमांक 1026/2, 1026/5, 1026/6 एवं 1027, कुल क्षेत्रफल – 0.555 हेक्टेयर सामान्य पत्थर खदान (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता– 25,035 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–01** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

9. मेसर्स किस्टोन इन्फ्रा प्राईवेट लिमिटेड माईन–1 (प्रो.– श्री वेंकटेश्वर राव), ग्राम–मुरदण्डा, तहसील–कुसूर, जिला–बीजापुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1115)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 135939 / 2020, दिनांक 09 / 01 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मुरदण्डा, तहसील–कुसूर, जिला–बीजापुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 324, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 56,992.5 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04 / 02 / 2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. यदि खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई हो, तो जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01 / 05 / 2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22 / 02 / 2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 315वीं बैठक दिनांक 27 / 02 / 2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रोहित कुमार सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मुरदण्डा का दिनांक 14 / 06 / 2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – जारी पंचवर्षीय उत्खनन योजना प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक 163/कले./खनिज/2020 बीजापुर, दिनांक 27/02/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदानें, कुल क्षेत्रफल 2.708 हेक्टेयर है। इसके अलावा खसरा क्रमांक 324 में मेसर्स फिरदौन इन्फ्रा प्राईवेट लिमिटेड माईन–2 क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर का एल.ओ. आई. जारी किया गया है, जिसके पर्यावरणीय स्वीकृति का आवेदन विचाराधीन है।

4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक 66/कले./खनिज/2019 बीजापुर, दिनांक 27/01/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

5. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक/1131/कले./खनिज/2018 बीजापुर, दिनांक 20/08/2018 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 2 वर्ष हेतु वैध है।

6. कार्यालय वनपरिक्षेत्र, आवापल्ली परिक्षेत्र, आवापल्ली(सा.) बीजापुर वनमण्डल, जिला–बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक /ए.टी./1005 आवापल्ली, दिनांक 29/12/2018 द्वारा वनमण्डलाधिकारी, बीजापुर वनमण्डल, जिला–बीजापुर को प्रेषित पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 5 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।

7. भू–स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है, जिसके अनुसार यह शासकीय भूमि है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (Distnct Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–आवापल्ली 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–आवापल्ली 1 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–आवापल्ली 1 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 0.2 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 1,74,412 टन एवं माईनेबल रिजर्व 1,09,838 टन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.277 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। ओवरबर्डन को माईन बाउण्ड्री में डम्प किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 2 वर्ष है। जैक हैमर से

ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्षवार उत्पादन	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम वर्ष	2,939	1.5	4,408	51,424
प्रथम वर्ष प्रथम बेंच	7,224	1.5	10,836	
प्रथम वर्ष द्वितीय बेंच	3,550	1.5	5,325	
द्वितीय वर्ष प्रथम बेंच	3,182	1.5	4,773	56,993
द्वितीय वर्ष द्वितीय बेंच	6,241	1.5	9,361	
द्वितीय वर्ष तृतीय बेंच	5,775	1.5	8,662	

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंकों का राउण्डऑफ किया गया है।

12. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल से किया जाना प्रस्तावित है। भू-जल के उपयोग के लिए सी.जी. डब्ल्यू.ए. में आवेदन किया जाना बताया गया है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।

13. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 1,000 नग पौधे लगाया जाना प्रस्तावित है।

14. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**

    i. इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

    ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि यह एक नवीन खदान है।

15. माननीय एन.जी.टी., प्रींसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

    a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA, as well as for cluster situation where ever it is not provided.

    b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 20	2%	Rs. 0.40	Following activities at Nearby	

			Government Primary School Village-Awapalli	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.50
			Plantation work	Rs. 0.10
			Total	**Rs. 0.60**

सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक 163 / कले / खनिज / 2020 बीजापुर, दिनांक 27 / 02 / 2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदानें, कुल क्षेत्रफल 2.708 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–मुरदण्डा) का रकबा 1 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–मुरदण्डा) को मिलाकर कुल रकबा 3.708 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत / संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से ग्राम–मुरदण्डा, तहसील–उसूर, जिला–बीजापुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 324, कुल क्षेत्रफल – 1 हेक्टेयर साधारण पत्थर खदान (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता– 56.992 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–02** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

10. मेसर्स किस्टोन इण्डा प्राईवेट लिमिटेड माईन–2 (प्रो.– श्री वेंकटेश्वर राव), ग्राम–मुरदण्डा, तहसील–उसूर, जिला–बीजापुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1118)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 136068 / 2020, दिनांक 09 / 01 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मुरदण्डा, तहसील–उसूर, जिला–बीजापुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 324, कुल क्षेत्रफल – 1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 53,196.25 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04 / 02 / 2020

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्पश्चात **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. यदि खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई हो, तो जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही

की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

2. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

3. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (अद्यतन) प्रस्तुत किया जाए।

4. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।

5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

6. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 315वीं बैठक दिनांक 27/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रोहित कुमार सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मुरदण्डा का दिनांक 14/06/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक 163/कले./खनिज/2020 बीजापुर, दिनांक 27/02/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदानें, कुल क्षेत्रफल 2.708 हेक्टेयर है। इसके अलावा खसरा क्रमांक 324 में मेसर्स किस्टोन इन्फ्रा प्राईवेट लिमिटेड माईन–1 क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर का एल.ओ.आई. जारी किया गया है, जिसके पर्यावरणीय स्वीकृति का आवेदन विचाराधीन है।

4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक क्रमांक 67/कले./खनिज/2019 बीजापुर, दिनांक 27/01/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

5. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक/1133/कले./खनिज/2018 बीजापुर, दिनांक

20/08/2018 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 2 वर्ष हेतु वैध है।

6. कार्यालय वनपरिक्षेत्र, आवापल्ली परिक्षेत्र, आवापल्ली(सा.) बीजापुर वनमण्डल, जिला–बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक /ए.टी./1005 आवापल्ली, दिनांक 29/12/2018 द्वारा वनमण्डलाधिकारी, बीजापुर वनमण्डल, जिला–बीजापुर को प्रेषित पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 5 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदन शील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नही है।

7. भू–स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है, जिसके अनुसार यह शासकीय भूमि है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–आवापल्ली 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–आवापल्ली 1 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–आवापल्ली 1 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 0.1 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 1,76,260 टन एवं माईनेबल रिजर्व 1,02,070 टन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.501 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। ओवरबर्डन को माईन बाउन्ड्री में डम्प किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 2 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्षवार उत्पादन	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम वर्ष	5,252	1.5	10,504	53,196
प्रथम वर्ष प्रथम बेंच	4,919	1.5	7,378	
प्रथम वर्ष द्वितीय बेंच	2,264	1.5	3,396	
द्वितीय वर्ष प्रथम बेंच	2,373	1.5	3,559	40,046
द्वितीय वर्ष द्वितीय बेंच	4,208	1.5	6,312	
द्वितीय वर्ष तृतीय बेंच	4,098	1.5	6,147	

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों का राउण्डऑफ किया गया है।

12. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल से किया जाना प्रस्तावित है। भू–जल के उपयोग के लिए सी.जी.

डब्ल्यू.ए. में आवेदन किया जाना बताया गया है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।

13. **वृक्षारोपण** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 1,000 नग पौधे लगाया जाना प्रस्तावित है।

14. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

i. इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि यह एक नवीन खदान है।

15. माननीय एन.जी.टी. प्रींसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सर्वेड पामतेरा विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 15	2%	Rs. 0.30	Following activities at Nearby Government Primary School	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.50
			Plantation	Rs. 0.10
			Total	**Rs. 0.60**

सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यभार खर्च का विवरण) एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक 163/कले./खनिज/2020 बीजापुर, दिनांक 27/02/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदानें, कुल क्षेत्रफल 2.708 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–मुरदण्डा) का रकबा 1 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–मुरदण्डा) को मिलाकर कुल रकबा 3.708 हेक्टेयर है। खदान की

सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत / संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से ग्राम–मुरदण्डा, तहसील–कुसूर, जिला–बीजापुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 324, कुल क्षेत्रफल – 1 हेक्टेयर साधारण पत्थर खदान (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता– 53,196 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–03** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

11. मेसर्स श्री विजय कुमार गुप्ता (स्टोन माईन ऑफ मेकिंग गिट्टी), ग्राम–बोकी, तहसील–जशपुर नगर, जिला–जशपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1121)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 136125 / 2020, दिनांक 10 / 01 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बोकी, तहसील–जशपुर नगर, जिला–जशपुर स्थित खसरा क्रमांक 1 एवं 102, कुल क्षेत्रफल – 3.76 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 1,09,200 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04 / 02 / 2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01 / 05 / 2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22 / 02 / 2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 315वीं बैठक दिनांक 27 / 02 / 2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विजय कुमार गुप्ता, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बोकी का दिनांक 10 / 01 / 1997 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – रिवाईज्ड क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 1402–03 / खनिज / 2019 अम्बिकापुर, दिनांक 16 / 10 / 2019 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 396 / खनि.शा. / 2020 जशपुर, दिनांक 07 / 01 / 2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र / संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 395 / खनि.शा. / 2020 जशपुर, दिनांक 07 / 01 / 2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, ब्रीज, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

5. **लीज का विवरण** – लीज डीड श्री विजय कुमार गुप्ता के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् 05 / 03 / 1997 से 04 / 03 / 2007 तक की अवधि हेतु थी। लीज डीड का प्रथम नवीनीकरण दिनांक 09 / 04 / 2007 से 08 / 04 / 2012 तक एवं द्वितीय नवीनीकरण दिनांक 09 / 04 / 2012 से 08 / 04 / 2017 तक की अवधि हेतु वैध है। तत्पश्चात् लीज डीड दिनांक 09 / 04 / 2017 से 04 / 03 / 2027 तक की अवधि हेतु वृद्धि की गई है।

6. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

7. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बोकी 0.65 कि.मी., शहर जशपुर नगर 10 कि.मी., स्कूल ग्राम–बोकी 1 कि.मी. एवं अस्पताल 10 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 कि.मी. एवं राजमार्ग 9.7 कि.मी. दूर है। गिरमा नदी 0.92 कि.मी. दूर है।

8. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

9. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 5,76,784 टन एवं माईनेबल रिजर्व 3,27,600 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.672 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा गया है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की वर्तमान गहराई 1.5 मीटर एवं प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। भू–भाग के 9724 वर्गमीटर क्षेत्र में उत्खनन हुआ है। क्रशर लगाया जाना प्रस्तावित नहीं है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.1 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 2 मीटर है। खदान की संभावित आयु 3 वर्ष है। ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन में)
प्रथम	1,09,200
द्वितीय	1,09,200

तृतीय	1,09,200

10. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 15 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल से की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।
11. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 300 नग पौधे लगाया जाना प्रस्तावित है।
12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण–**
    i. पूर्व में खदान खसरा क्रमांक 1 एवं 102 क्षेत्रफल 3.76 हेक्टेयर, क्षमता–15,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–जशपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 21/02/2017 द्वारा जारी की गई।
    ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
    iii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 491/खनि.शा./2020 जशपुर, दिनांक 25/02/2020 के अनुसार जनवरी, 1998 से फरवरी, 2018 तक 14,586 घनमीटर उत्खनन किया गया है।
13. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है–
    a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
    b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.
14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

<table>
<tr><th rowspan="2">Capital Investment (in Coror)</th><th rowspan="2">Percentage of Capital Investment to be Spent</th><th rowspan="2">Amount Required for CER Activities (in Lakh)</th><th colspan="2">Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)</th></tr>
<tr><th>Particulars</th><th>CER Fund Allocation (in Lakh)</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Rs. 1.08</td><td rowspan="3">2%</td><td rowspan="3">Rs. 2.16</td><td colspan="2">Following activities at Nearby Government Middle School Village-Boki</td></tr>
<tr><td>Rain Water Harvesting System</td><td>Rs. 0.70</td></tr>
<tr><td>Potable Drinking water Facility</td><td>Rs. 0.22</td></tr>
</table>

			Running water Facility for Toilets	Rs. 0.20
			Plantation	Rs. 1.04
			Total	**Rs. 2.16**

15. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि यह प्रकरण क्षमता विस्तार का है। वर्तमान में उत्खनन क्षमता में वृद्धि कर 15,000 टन प्रतिवर्ष से 1,09,200 टन प्रतिवर्ष किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

16. समिति की संज्ञान में यह तथ्य आया कि लीज क्षेत्र लगभग 40 से 50 प्रतिशत वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र है। परियोजना प्रस्तावक अनुसार उन क्षेत्रों में उत्खनन कार्य नहीं किया जाएगा। माईनिंग प्लान में रिजर्व की गणना में उन क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। इस प्रकार रिजर्व की गणना उपयुक्त नहीं है। अतः लीज क्षेत्र में वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र घोषित कर माईनेबल रिजर्व की गणना कर संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत की जाए।
2. लीज क्षेत्र में वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र घोषित कर माईनेबल रिजर्व की गणना कर संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव में प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी हेतु पत्र लिखा जाए।

12. मेसर्स चवेली लाईम स्टोन माईन (प्रो.— श्री नरेश लाल तलरेजा), ग्राम—चवेली, तहसील व जिला—राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 964)

ऑनलाईन आवेदन — प्रपोजल नम्बर — एसआईए / सीजी / एमआईएन / 42456 / 2019, दिनांक 30 / 09 / 2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 14 / 10 / 2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 11 / 01 / 2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण — यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम—चवेली, तहसील व जिला—राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 487, कुल क्षेत्रफल — 0.607 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता—3,822.81 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण —

(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04 / 02 / 2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था–**

1. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(4) समिति की 315वीं बैठक दिनांक 27/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री गिरधारी लाल ललरेजा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत खपरीखुर्द का दिनांक 09/11/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क./ख.लि./तीन-6/2016/1573 रायपुर, दिनांक 27/07/2016 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 2519/ख.लि.02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 15/10/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 6 खदानें, कुल क्षेत्रफल 7.56 हेक्टेयर है।
4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 2519/ख.लि. 02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 15/10/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
5. **लीज का विवरण** – लीज डीड श्री नरेश लाल ललरेजा के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् 16/03/1999 से 15/03/2009 तक की अवधि हेतु थी। लीज डीड का प्रथम नवीनीकरण दिनांक 16/03/2009 से 15/03/2014 तक की अवधि हेतु वैध है। तत्पश्चात् लीज डीड दिनांक 16/03/2014 से 15/03/2029 तक की अवधि हेतु वृद्धि की गई है।
6. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./न.क.10-1/2020/1283 राजनांदगांव, दिनांक

05/02/2020 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 8 कि.मी. दूर है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–ठेलकाडीह 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–ठेलकाडीह 1.5 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 13 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 0.7 कि.मी. दूर है। तालाब 0.8 कि.मी. दूर है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. जियोलॉजिकल रिजर्व 91,050 टन, माईनेबल रिजर्व 36,728 टन रिकव्हरेबल रिजर्व 33,055 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.25 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा गया है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 9 वर्ष है। जेक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्षवार उत्पादन	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम वर्ष	340	6	989	2,473
द्वितीय वर्ष	340	6	1,529	3,823
तृतीय वर्ष	340	6	1,529	3,823
चतुर्थ वर्ष	340	6	1,529	3,823
पंचम वर्ष	340	6	1,529	3,823

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंकों का राउण्डऑफ किया गया है।

11. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल से की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।

12. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 450 नग पौधे लगाया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में 300 नग वृक्षारोपण किया गया है।

13. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि:–

    i. बायें तरफ में 7.5 मीटर क्षेत्र पूर्व से उत्खनित है। अतः उक्त क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव नहीं है।

    ii. लीज क्षेत्र से लगी हुई भूमि आवेदक के नाम पर है, जिस पर उत्खनित 7.5 मीटर क्षेत्र के दोगुने क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

i. पूर्व में श्री नरेश लाल तलरेजा के नाम से चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान खसरा क्रमांक 487, क्षेत्रफल 0.607 हेक्टेयर, क्षमता–3,822.81 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–राजनांदगांव द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 10/01/2017 के द्वारा जारी दिनांक से दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई है।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iii. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 317/ख.लि. 03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 04/02/2020 के अनुसार विगत वर्षों का उत्खनन विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन में)
जुलाई 2009 से दिसम्बर 2009	238
जनवरी 2010 से जून 2010	7,900
जुलाई 2010 से दिसम्बर 2010	5,400
जनवरी 2011 से जून 2011	6,900
जुलाई 2011से दिसम्बर 2011	निरंक
जनवरी 2012 से जून 2012	950
जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012	200
जनवरी 2013 से जून 2013	7,300
जुलाई 2013 से दिसम्बर 2013	6,700
जनवरी 2014 से जून 2014	4,000
जुलाई 2014 से दिसम्बर 2016	निरंक
जनवरी 2017 से जून 2017	1,000
जुलाई 2017 से दिसम्बर 2017	850
जनवरी 2018 से जून 2018	2,400
जुलाई 2018 से दिसम्बर 2018	1,350
जनवरी 2019 से जून 2019	1,190
जुलाई 2019 से दिसम्बर 2019	300

15. माननीय एन.जी.टी., प्रींसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 2519/खनि.02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 15/10/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 6 खदानें, कुल क्षेत्रफल 7.56 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–धवेली) का रकबा 0.607 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–धवेली) को मिलाकर कुल रकबा 8.167 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान श्रे–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टेण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए/ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्टस/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टेण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्टस हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project Proponent shall submit the revised calculation of the mined out area of 7.5 meter safety zone and submit the proposal for plantation within an area, which is twice of the area mined out area of 7.5 meter safety zone.
   ii. Project Proponent shall submit an action plan for complete plantation within one year.
   iii. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
   iv. Project Proponent shall submit CER proposals with details of works and detailed estimates.
   v. Project Proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

13. मेसर्स धवेली लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री रमेश लाल तलरेजा), ग्राम–धवेली, तहसील व जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 963ए)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/42466/2019, दिनांक 29/09/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 11/10/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 11/01/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–धवेली, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 487, कुल क्षेत्रफल – 0.709 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 7,179.91 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
2. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (प्रेजेन्टेशन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 315वीं बैठक दिनांक 27/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री गिरधारी लाल तलरेजा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई –

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत खपरीखुर्द का दिनांक 11/02/2003 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनिज), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क/खनि/तीन–6/2016/1567 रायपुर, दिनांक 27/07/2016 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 2520/खनि 02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 15/10/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 6 खदानें, कुल क्षेत्रफल 7.56 हेक्टेयर है।
4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 2520/खनि 02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 15/10/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
5. **लीज का विवरण** – लीज डीड श्री रमेश लाल तलरेजा के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 06/12/2003 से 05/12/2013 तक की अवधि हेतु थी। तत्पश्चात लीज डीड दिनांक 06/12/2003 से 05/12/2033 तक की अवधि हेतु वृद्धि की गई है।
6. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

7. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–ठेलकाडीह 1.2 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–ठेलकाडीह 1.2 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 14 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 0.71 कि.मी. दूर है। तालाब 0.7 कि.मी. दूर है।

8. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

9. जियोलॉजिकल रिजर्व 1,06,350 टन, माईनेबल रिजर्व 60,821 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 54,739 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.22 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा गया है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 8 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्षवार उत्पादन	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम वर्ष	6	1,792	4,480
द्वितीय वर्ष	6	2,872	7,180
तृतीय वर्ष	6	2,872	7,180
चतुर्थ वर्ष	6	2,872	7,180
पंचम वर्ष	6	2,872	7,180

आगामी वर्षों की उत्खनन योजना

वर्षवार उत्पादन	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
छटवें वर्ष	6	2,872	7,180
सातवें वर्ष	6	2,872	7,180
आठवें वर्ष	6	2,872	7,180

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों का राउण्डऑफ किया गया है।

10. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ट्यूब वेल से की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।

11. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 500 नग पौधे लगाया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में 200 नग वृक्षारोपण किया गया है।

12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**:–

i. पूर्व में श्री रमेश लाल तलरेजा के नाम से चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान खसरा क्रमांक 487, क्षेत्रफल 0.709 हेक्टेयर, क्षमता–7179.91 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–राजनांदगांव द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 10/11/2016 को

द्वारा जारी दिनांक से दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई है।

ब. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

स. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा) जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 316/ख.लि. 03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 04/02/2020 के अनुसार विगत वर्षों का उत्खनन विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन में)
जुलाई 2003 से दिसम्बर 2003	निरंक
जनवरी 2004 से जून 2004	निरंक
जुलाई 2004 से दिसम्बर 2004	420
जनवरी 2005 से जून 2005	301
जुलाई 2005 से दिसम्बर 2005	निरंक
जनवरी 2006 से जून 2006	322
जुलाई 2006 से दिसम्बर 2006	निरंक
जनवरी 2007 से जून 2007	1,045
जुलाई 2007 से दिसम्बर 2007	निरंक
जनवरी 2008 से जून 2008	290
जुलाई 2008 से दिसम्बर 2008	निरंक
जनवरी 2009 से जून 2009	190
जुलाई 2009 से दिसम्बर 2009	निरंक
जनवरी 2010 से जून 2010	145
जुलाई 2010 से दिसम्बर 2010	80
जनवरी 2011 से जून 2011	135
जुलाई 2011से दिसम्बर 2011	निरंक
जनवरी 2012 से जून 2012	100
जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012	निरंक
जनवरी 2013 से जून 2013	150
जुलाई 2013 से दिसम्बर 2013	100
जनवरी 2014 से दिसम्बर 2016	निरंक
जनवरी 2017 से जून 2017	300
जुलाई 2017 से दिसम्बर 2017	455
जनवरी 2018 से जून 2018	355
जुलाई 2018 से दिसम्बर 2018	400
जनवरी 2019 से जून 2019	425
जुलाई 2019 से दिसम्बर 2019	200

13. माननीय एन.जी.टी., प्रींसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by

SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 2520 / खलि. 02 / 2019, राजनांदगांव, दिनांक 15 / 10 / 2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 6 खदानें, कुल क्षेत्रफल 7.56 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–मचेली) का रकबा 0.709 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–मचेली) को मिलाकर कुल रकबा 8.27 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत / संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. / ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स / एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project Proponent shall submit an action plan for plantation around 7.5 meter of mine lease periphery within one year.

   ii. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

   iii. Project Proponent shall submit proposal for storage of top soil.

   iv. Project Proponent shall submit CER proposals with details of works and detailed estimates.

   v. Project Proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

14. मेसर्स मचेली लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री गिरिश तलरेजा), ग्राम–मचेली, तहसील व जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 965)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 42409 / 2019, दिनांक 30 / 09 / 2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 14 / 10 / 2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 11 / 01 / 2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मचेली, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 392(पार्ट),

393, 394 एवं 398(पार्ट), कुल क्षेत्रफल – 1.581 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 50,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
2. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 315वीं बैठक दिनांक 27/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री भिखारी लाल तलरेजा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत खपरीखुर्द का दिनांक 07/11/2009 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 8775(2)/ख.लि./तीन–1/ख.यो.अनु./2018 रायपुर, दिनांक 22/01/2018 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 2521/ख.लि. 02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 15/10/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 6 खदानें, कुल क्षेत्रफल 6.58 हेक्टेयर है।
4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 2521/ख.लि. 02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 15/10/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
5. **लीज का विवरण** – पूर्व में लीज श्री रमेश तलरेजा (0.404 हेक्टेयर) के नाम पर 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 06/12/2003 से 05/12/2033 तक एवं श्री गिरीश तलरेजा (1.064 हेक्टेयर) के नाम पर 30 वर्षों अर्थात् दिनांक

06/10/2009 से 05/10/2039 तक की अवधि हेतु जारी की गई थी। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 650/ख.लि.02/2018 राजनांदगांव, दिनांक 19/06/2018 द्वारा उक्त लीजों का समामेलन (amalgamation) श्री गिरीश तलरेजा के नाम पर किया गया है। सम्मिलित (amalgamated) लीज डीड की वैधता दिनांक 05/12/2033 तक है।

6. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (Distinct Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

7. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–ठेलकाडीह 2 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–ठेलकाडीह 2 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 14 कि.मी. एवं राजमार्ग 0.46 कि.मी. दूर है। तालाब 0.55 कि.मी. दूर है।

8. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

9. जियोलॉजिकल रिजर्व 5,92,875 टन, माईनेबल रिजर्व 2,96,753 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 2,21,603 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.46 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा गया है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 8 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्षवार उत्पादन	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम वर्ष	6,667	3	20,000	50,000
द्वितीय वर्ष	6,667	3	20,000	50,000
तृतीय वर्ष	5333	3	16,000	40,000
चतुर्थ वर्ष	4,000	3	12,000	30,000
पंचम वर्ष	4,000	3	12,000	30,000

10. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल से की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।

11. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 700 नग पौधे लगाया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में 500 नग वृक्षारोपण किया गया है।

12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**–

i. पूर्व में श्री गिरीश तलरेजा के नाम से चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान खसरा क्रमांक 392(पार्ट), 393, 394 एवं 398(पार्ट), क्षेत्रफल 1.581 हेक्टेयर, क्षमता–50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–राजनांदगांव द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक

14/03/2018 के द्वारा जारी दिनांक से दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई है।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iii. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 327/ख.लि. 03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 04/02/2020 के अनुसार विगत वर्षों का उत्खनन विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)
जुलाई 2003 से जून 2009	—
जुलाई 2009 से जून 2010	निरंक
जुलाई 2010 से दिसम्बर 2010	1,750
जनवरी 2011 से जून 2011	2,400
जुलाई 2011से दिसम्बर 2011	100
जनवरी 2012 से जून 2012	300
जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012	200
जनवरी 2013 से जून 2013	3,500
जुलाई 2013 से दिसम्बर 2013	1,500
जनवरी 2014 से जून 2014	14,000
जुलाई 2014 से दिसम्बर 2014	2,000
जनवरी 2015 से दिसम्बर 2016	निरंक
जनवरी 2017 से जून 2017	1,500
जुलाई 2017 से दिसम्बर 2017	2,100
जनवरी 2018 से जून 2018	2,050
जुलाई 2018 से दिसम्बर 2018	11,660
जनवरी 2019 से जून 2019	11,300
जुलाई 2019 से दिसम्बर 2019	2,400

13. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 2521/ख.लि. 02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 15/10/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 6 खदानें, कुल क्षेत्रफल 6.58

हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–चवेली) का रकबा 1.581 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–चवेली) को मिलाकर कुल रकबा 8.16 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत / संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण "बी1" कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. / ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स / एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई–

i. Project Proponent shall submit an action plan for plantation around 7.5 meter of mine lease periphery within one year.
ii. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
iii. Project Proponent shall submit the previous EC compliance report.
iv. Project Proponent shall submit proposal for storage of top soil.
v. Project Proponent shall submit CER proposals with details of works and detailed estimates.
vi. Project Proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

15. मेसर्स किरगी सोईल ऑर्डिनरी क्ले क्वारी (प्रो.– श्री नरेश लाल तलरेजा), ग्राम–किरगी, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 963बी)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 42449 / 2019, दिनांक 29 / 09 / 2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 11 / 10 / 2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 11 / 01 / 2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–किरगी, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 32, कुल क्षेत्रफल – 1.417 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता–1528.21 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04 / 02 / 2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था–**

1. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
2. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 315वीं बैठक दिनांक 27/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री गिरधारी लाल तलरेजा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बनहरदी का दिनांक 17/10/2004 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 7114/खनि-02/उ.प./न.क्र.91/2015 नया रायपुर, दिनांक 11/12/2015 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 2517/ख.लि. 02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 15/10/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, कुल क्षेत्रफल 1.348 हेक्टेयर है।
4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 2517/ख.लि. 02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 15/10/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
5. **लीज का विवरण** – लीज डीड श्री नरेश लाल तलरेजा के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 28/10/2004 से 27/10/2014 तक की अवधि हेतु थी। लीज डीड का प्रथम नवीनकरण दिनांक 28/10/2014 से 27/10/2024 तक की अवधि हेतु वृद्धि की गई है।
6. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
7. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-किरगी 0.5 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम-किरगी 0.5 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.5

कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2.5 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 5.5 कि.मी. एवं नाला 50 मीटर दूर है।

8. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

9. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 28340 घनमीटर एवं रिकवरेबल रिजर्व 13,415 घनमीटर है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 1 मीटर (0.084 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा गया है। उत्खनन की अधिकतम गहराई 2 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की गहराई 2 मीटर बताया गया है, जिसका उपयोग ईंट निर्माण में किया जाता है। उत्खनन ओपन कास्ट मैनुअल विधि से किया जाता है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। स्थाई चिमनी की ऊंचाई 35 मीटर है। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 9 वर्ष है। वर्षवार उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्षवार उत्पादन	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	क्ले उत्पादन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्पादन (नग)
प्रथम वर्ष	881	2	1,528	12,31,136
द्वितीय वर्ष	881	2	1,528	12,31,136
तृतीय वर्ष	881	2	1,528	12,31,136
चतुर्थ वर्ष	881	2	1,528	12,31,136
पंचम वर्ष	881	2	1,528	12,31,136

आगामी पांच वर्ष की उत्पादन योजना

वर्षवार उत्पादन	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	क्ले उत्पादन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्पादन (नग)
छठवें वर्ष	1,604	1	1,443	11,62,858
सातवें वर्ष	1,604	1	1,443	11,62,858
आठवें वर्ष	1,604	1	1,443	11,62,858
नौवे वर्ष	1,604	1	1,443	11,62,858

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंकों का राउण्डऑफ किया गया है।

10. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल से की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।

11. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 1 मीटर खुले क्षेत्र में 200 नग पौधे लगाया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में 200 नग वृक्षारोपण किया गया है।

12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. पूर्व में श्री नरेश लाल तलरेजा के नाम से मिट्टी (गौण खनिज) ईंट निर्माण इकाई खदान खसरा क्रमांक 32, क्षेत्रफल 1.417 हेक्टेयर, क्षमता–1,528.21 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–राजनांदगांव द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 10/01/2017 को

द्वारा जारी दिनांक से दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई है।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iii. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 315/ख.लि. 03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 04/02/2020 द्वारा विगत वर्षों के उत्खनन की जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसमें यह स्पष्ट नहीं है कि विगत वर्षों में कितनी मात्रा में मिट्टी उत्खनन किया गया है?

13. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 13.5	2%	Rs. 0.27	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Kirgi	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.20
			Plantation	Rs. 0.07
			Total	Rs. 0.27

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

14. वर्तमान में प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान से यह स्पष्ट नहीं है कि वर्तमान में कितनी मात्रा में मिट्टी उत्खनन किया गया है तथा उत्खनन हेतु कितनी मात्रा शेष है?

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–

1. विगत वर्षों में किए गए मिट्टी उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी एवं ईंट उत्पादन की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
2. वर्तमान में उत्खनित मात्रा के आधार पर, उत्खनन हेतु उपलब्ध मात्रा के अनुसार गणना कर, संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत की जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।

(मोहम्मद [illegible] सदिमान)
सदस्य सचिव
राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति
छत्तीसगढ़

(धीरेन्द्र शर्मा)
अध्यक्ष
राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति
छत्तीसगढ़

मेसर्स तिरूपति बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड (03) को खसरा क्रमांक 1026/2, 1026/5, 1026/6 एवं 1027, कुल क्षेत्रफल – 0.555 हेक्टेयर, ग्राम–बदुराबहार, तहसील–पत्थलगांव, जिला–जशपुर में साधारण पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–25,035 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 0.555 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से चूना पत्थर का अधिकतम उत्खनन 25,035 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
3. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
4. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री–ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह चारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
5. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
6. किसी विमनी / वेंट / प्वाईंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वांइट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, सड़क एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत् संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

7. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

8. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डम्प / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।

9. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ–साथ (कॉनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।

10. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी / बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाए ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सके। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

11. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी / बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गढ्डों में पुनर्भरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

13. खनिज का परिवहन मैकेनिकली कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

14. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 19.9	2%	Rs. 0.40	Following activities at Nearby Government Naveen Primary School Village-Chandragarh	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.68
			Plantation	Rs. 0.10

			Book distribution for Environment Awareness Programme	Rs. 0.10
			Total	**Rs. 0.88**

15. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।

16. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 429 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए। आवेदित स्थल के गैर उत्खनन क्षेत्र में लगभग 177 नग अतिरिक्त वृक्षारोपण किया जाए।

17. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2020 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 200 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।**

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

19. सक्षम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरांत सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से ब्लास्टिंग किया जाए। पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (फ्लाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।

20. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के ऊपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

21. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

23. कार्य स्थल पर यदि प्रवासी श्रमिक कार्य पर लगाये जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

24. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल, चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

25. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

26. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

27. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

28. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्तें जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

29. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हों, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रकाशित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट **www.seiaacg.org** पर भी किया जा सकता है।

30. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायगढ़, एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।

31. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।

32. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

33. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

34. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सकें। अन्यथा में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

35. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर / तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

36. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

परिशिष्ट–02

मेसर्स किस्टोन इन्फ्रा प्राईवेट लिमिटेड माईन–1 (प्रो.– श्री वेंकटेश्वर राव) को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 324, कुल क्षेत्रफल – 1 हेक्टेयर, ग्राम–मुरदण्डा, तहसील–ऊसूर, जिला–बीजापुर में साधारण पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–56,992 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से चूना पत्थर का अधिकतम उत्खनन 56,992 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।

3. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार के दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

4. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री–ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह घास, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

5. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।

6. किसी चिमनी / वेंट / प्वाईंट सोर्स से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वाइंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेनमेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत् संचालन / संधारण सुनिश्चित किया जाए। व्हील वॉशिंग सिस्टम का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

7. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत निर्दिष्ट

मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

8. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डम्प / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।

9. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ–साथ (कॉनकरेन्टली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।

10. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी / बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाए ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

11. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी / बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सकें।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

13. खनिज का परिवहन मेकनेकली कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

14. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए –

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 20	2%	Rs. 0.40	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Awapalli	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.50
			Plantation	Rs. 0.10
			Total	Rs. 0.60

15. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) एक माह में प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।

16. सक्षम प्राधिकारी से वृक्षों की कटाई हेतु विधिवत् अनुमति उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।

17. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 1,000 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

18. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2020 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 200 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।**

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जांच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

20. सक्षम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरांत सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से ब्लास्टिंग किया जाए। पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (फ्लाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।

21. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के ऊपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

22. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन्स एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

24. कार्य स्थल पर यदि कैम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

25. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

26. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

27. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

28. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

29. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

30. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

31. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्द्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जगदलपुर, एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।

32. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।

33. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

34. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

35. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को पुन

नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

38. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

37. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स किरटोन इन्फ्रा प्राईवेट लिमिटेड माईन–2 (प्रो.– श्री वेंकटेश्वर राव) को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 324, कुल क्षेत्रफल – 1 हेक्टेयर, ग्राम–मुरदण्डा, तहसील–ऊसूर, जिला–बीजापुर में साधारण पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–53,196 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से चूना पत्थर का अधिकतम उत्खनन 53,196 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
3. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
4. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए है, उनकी री–ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह घास, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
5. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
6. किसी चिमनी / वेंट / प्वाईंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वाइंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत् संचालन / संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
7. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट

मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

8. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।

9. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ–साथ (कॉनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।

10. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

11. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनर्भरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

13. खनिज का परिवहन मेकनेकली कवर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों की क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

14. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 15	2%	Rs. 0.30	Following activities at Nearby Government Primary School	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.50
			Plantation	Rs. 0.10
			Total	Rs. 0.60

15. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) एक माह में प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।

16. सक्षम प्राधिकारी से वृक्षों की कटाई हेतु विधिवत अनुमति उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।

17. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 1,000 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

18. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2020 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीशू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 200 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।**

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

20. सक्षम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरांत सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से ब्लास्टिंग किया जाए। पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (फ्लाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।

21. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के ऊपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

22. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

24. कार्य स्थल पर यदि कैम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

25. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल, चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

26. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

27. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

28. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

29. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन / निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्सरण के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

30. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास ज्ञापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियां सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

31. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जगदलपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।

32. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।

33. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों / अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

34. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, पुनर्चक्रण और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

35. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुन:

नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सकें। साथ ही कोई भी विस्तार अथवा उल्लंघन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

36. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर / तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

37. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.